स्थापना १५ आगस्ट १९६१

रज़ि नं. ३३७ (ना.) ६५

पालीवाल सेवा मंडल

नागपुर

ज्ञान

समर्पण

सहयोग

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर

६१ वाँ वार्षिक विवरण

२०२४-२०२५

वार्षिक सभा

शुक्रवार दि. १५ अगस्त २०२५

३८३, पं.जवाहरलाल नेहरु मार्ग, पटवर्धन हायस्कूल के सामने, सिताबर्डी,
नागपुर - ४४० ०१२. फोन : ०७१२-२५२२४९४, २५२१९४३
Email : info.psmnagpur@gmail.com

मंडल की २६ वीं कार्यकारिणी

अध्यक्ष	:	श्री मोतीलाल खूबचंदजी हरजाल
उपाध्यक्ष	:	श्री राजेंद्र मोहनलालजी ठोमा
महिला उपाध्यक्षा	:	श्रीमती दुर्गा भोजराजजी हरजाल
सचिव	:	श्री अमर नंदकिशोरजी सुहाम
उप सचिव	:	श्री अमोल शिवनारायणजी पुनंद
कोषाध्यक्ष	:	श्री पं. जनार्दन किशोरिलालजी हरजाल
सहकोषाध्यक्ष	:	श्री राधेश्याम बक्षीरामजी धामट
छात्रउपमंत्री	:	श्री रोहिन गोपालजी सुहाम

कार्यकारिणी सदस्य

श्री राधेश्याम सुन्दरलालजी पुनंद, कारंजा
श्री बालकिसन सोमराजजी पुनंद, कोंढाली
श्री रमेश अमृतलालजी हरजाल, काटोल
श्री भगवतीप्रसाद सतीदानजी धामट, अर्जुनी मोर.
श्री नितिन बद्रीप्रसादजी हरजाल, सिंदी रे.
श्रीमती डॉ. सुनीता गोपालजी भायल, वर्धा
श्रीमती डॉ. प्रियंका प्रशांतजी धामट, नागपुर
श्री सचिन घनश्यामजी धामट, आर्वी
श्री डॉ. भरत गिरिजाशंकरजी धामट, धा. रेलवे
श्री. पं. रमेश श्रीकिसनजी धामट, नागपुर
श्री एड. मिलिन्द्कुमार देवचंदजी सुहाम, पारसीवनी

मनोनीत सदस्य

श्री त्रिलोकचंद श्रीकिशनजी कुलधर, उंकरा
श्री पं धनराज जगरामदासजी (जस्सू), नागपुर
श्री प्रविन दुर्गाप्रसादजी सुहाम, पांढुर्णा
श्री दीपक केसरीमलजी कुलधर, पारशिवनी
श्री विजय लक्ष्मीकांतजी हरजाल, मोहपा
श्री गिरीशकुमार धनराजजी हरजाल, कटोल
श्री घनश्याम राजारामजी सारण, नागपुर
श्री अरुणकुमार टीकारामजी (धामट), कारंजा
श्री डालचंद चतुर्भुजजी मुन्धा, नागपुर
श्री अमृतलाल रामचंद्रजी पुनंद, नागपुर

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री शिवनारायण अमरचंदजी धामट, अर्जुनी मोर
श्री राधेश्याम रूपरामजी धामट, आर्वी
श्री चंद्रकांत ताराचंदजी कुलधर, तुमसर
श्री अनिलकुमार रामकिसनजी धामट, चांदुरबाज़ार
श्री मदनलाल दामोदरजी धामट, वानखेड
श्री डॉ. बालमुकुन्द दामोदरजी धामट, चंद्रपुर
श्री ओमप्रकाश बालकिसनजी हरजाल, तलेगाव
श्री मनोज जगन्नाथजी हरजाल, नागपुर
श्री रमेश कन्हैयालालजी कुलधर, बालाघाट
श्री अजय शंकरलालजी पालीवाल, छिंदवाडा
श्री मोहनलाल मांगीलालजी हरजाल,दुर्ग(भिलाई)
श्री चंद्रशेखर सत्यनारायणजी धामट शर्मा,केलवद
श्री डॉ. लीलाधर मोहनलालजी धामट,सिन्धी रेल्वे
श्री विजयकुमार रामकिसनजी हरजाल,थडीपवनी
श्री पं माणकलाल सीतारामजी सुहाम, नागपुर
श्री उमेश राधेश्यामजी मुन्धा, बूटीबोरी
श्री रमेश शालिग्रामजी (सांधु) पालीवाल, काटोल
श्री रघुवीरप्रसाद गोपालजी धामट,टाकलघाट
श्री अनुराग दायनेंद्रजी बुणिया,टाकलघाट
श्री विजय रतनलालजी जागिया, गुमगाव
श्री बाबूलाल आईदानजी सोमेरी,नागपुर
श्री रोशन महावीरप्रसादजी हरजाल,नागपुर
श्री मनोज प्यारेलालजी सुहाम, नागपुर
श्री उमेश कन्हैयालालजी धामट, नागपुर
श्री संजय रामचन्द्रजी हरजाल, जसापुर
श्री शैलेंद्र सत्येंद्रजी मुदगल, नागपूर
श्री पं. गिरिधारीलाल थानिरामजी हरजाल, नागपुर
श्री. देवेन्द्र श्रीकृष्णजी हरजाल, पुणे
श्री सुनील हरदयालजी भायल, पांढुर्णा
श्री सुमित गोपालजी हरजाल, पांढुर्णा
श्री किशोर भगवानदासजी जागिया, पांढुर्णा
श्री नरेश नेतरामजी बुणिया, पारशिवनी
श्री टीकमचंद बाबूलालजी सुहाम, नागपुर
श्री सुधीर देवीप्रसादजी हरजाल, खरवड
श्री लक्ष्मीकांत खेमचंदजी सांधू ,काटोल
श्री प्रकाश अमृतलालजी हरजाल, काटोल
श्री दीपक मधुसुधनजी कुलधर, लालबर्रा
श्री पुरषोत्तम रामचन्द्रजी पुनंद, बोर्डा
श्री विजय लीलाधरजी सोमेरी वरुड (जरूड)
श्री धनराज आईदानजी सुहाम, पारशिवनी
श्री राजेंद्र मुरलीधरजी जागिया, पारशिवनी
श्री नित्यानंद डालचंदजी हरजाल ,बोड. देवी
श्री प्रकाशचंद नर्मदाप्रसादजी पराशर,बिरसिंगपुर(पाली)
श्री तेजराम बाबूलालजी बुनिया, नागपुर
श्री पं. जेठमल राधाकिसनजी धामट, नागपुर
श्री डॉ उमाकांत राधाकिसनजी बुणिया, नागपुर
श्री आनंद नाथूरामजी सोमेरी, नागपुर
श्री मनीष रमनलालजी हरजाल, काटोल
श्री विक्रम श्यामसुंदरजी सांधू, काटोल
श्री संदीप श्यामसुंदरजी हरजाल, मोवाड
श्री रवि प्रकाशजी हरजाल, काटोल
श्री तुलसीदास टिकमदासजी धामट, वानखेड
श्री पं. सांगिदान तुलछीरामजी धामट ,नागपुर
श्री छगन आसुलालजी हरजाल, काटोल
श्री नारायण श्रीकिशनजी सुहाम, लो. सावंगा
श्री नागेश्वर त्रिलोकचंदजी धामट, शेगाव
श्री गोपाल चैनसुखजी धामट, तेल्हारा
श्री सुरेशकुमार शिवनारायणजी मुंधा,कारंजा लाड
श्री एड. जयंत नारायणदासजी बुनिया, शेगाव
श्री नारायण जेठमलजी धामट, वानखेड
श्री सुनील श्यामसुंदरजी धामट, एदलापुर
श्री ओमप्रकाशजी लूणकरणजी धामट, संग्रामपुर
श्री प्रदीपकुमार हेमराजजी मुंधा, खामगाव
श्री ताराचंद रामलालजी हरजाल, तेल्हारा
श्री प्रल्हाद बाबूलालजी बुनिया, धा. रेलवे
श्री जगदीश देवीलालजी धामट, धा. रेलवे
श्री घनश्याम त्रिलोकचंदजी कुलधर, रतलाम
श्री ओमप्रकाश बद्रिप्रसदजी बुनिया, काटोल
श्री एड. राजेश चंडीदानजी मुंधा, अर्जुनी मोर.
श्री आनंदकुमार भोजराजजी जस्सू , खामगाव
श्री अशोककुमार नारायणदासजी धामट, खांडवी
श्री मोहनलाल लालचंदजी मुंधा,शेगाव
श्री चंपालाल गिरधारीलालजी (जगिया),नागपूर
श्री कमलेश मदनलालजी हरजाल,नागपूर (जसापूर)
श्री जनक आईदानजी पुनंद, सिंदीरेल्वे
श्री सचिन लक्ष्मीकांतजी पराशर, नागपुर
श्री आकाश जग्गनाथजी धमाट, पातुर्डा (बुलढाना)

स्नेही स्वजन,

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर अपनी ६१ वीं वर्षगांठ व देश का ७८ वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर विविध कार्यक्रम पर विविध कार्यक्रमों को अपने साथ लिये आप सभी को आमंत्रित करता है। आपकी उपस्थिती हमारे लिये प्रेरणा स्त्रोत है।

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर

शुक्रवार दिनांक १५ अगस्त २०२५

खेलकुद प्रतियोगिता | **मेडिकल फ्री चेकअप कॅम्प** | **रक्तदान शिविर**

प्रमुख अतिथि

मा. श्री. अचलकुमारजी पालीवाल
न्यायाधीश, म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपूर

ध्वजारोहण : सुबह ८.३० बजे

मोतीलाल खूबचंदजी हरजाल
अध्यक्ष
पालीवाल सेवा मंडल

उद्घाटन समारोह : सुबह १०.०० बजे

प्रमुख अतिथी द्वारा विशेष अतिथी के उपस्थिती में

विशेष अतिथि

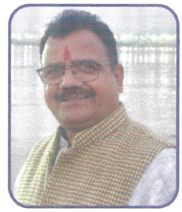

श्रीमानजी अशोकजी पालीवाल
हिंदू नेता, वरिष्ठ स्वयंसेवक,
उद्योगपति, राष्ट्रभक्ति विर युवा मंच
एवं महादेवगढ संरक्षक, खंडवा

अल्पाहार	:	सुबह ९ से १० बजे तक
रक्तदान शिवीर	:	सुबह १० से दोप. १ बजे तक
निःशुल्क जाँच व आरोग्य शिवीर	:	सुबह १० से दोप. १ बजे तक
भोजन अवकाश	:	दोप. १ से दोप. १.३० बजे तक
सत्कार समारोह, खेलकुद प्रतियोगिता एवं प्राविण्यप्राप्त विद्यार्थियों को पारितोषिक	:	दोप. १.३० बजे से दोप. ३.०० बजे तक

सत्कार समारोह

पालीवाल समाज के वरिष्ठ मार्गदर्शकों का सम्मान समारोह

श्रीमान राधाकिसनजी जयरामजी धामट
श्रीमती भगवतीजी राधाकिसनजी धामट, वर्धा

श्रीमान रामचंद्रजी सीतारामजी हरजाल
श्रीमती चाम्पादेवी रामचंद्रजी हरजाल, जसापूर

श्रीमान रमेशजी कन्हैयालालजी कुलधर
श्रीमती विनितादेवी रमेशजी कुलधर, बालाघाट

श्रीमान वसंतकुमारजी गंगाविसनजी कुलधर
श्रीमती शकुंतलाजी वसंतकुमारजी कुलधर, पौण्डी (बालाघाट)

श्री त्रिलोकचंदजी श्रीकिशनजी कुलधर, उन्कारा

श्रीमान चुन्नीलालजी रामलालजी हरजाल, काटोल

पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत समाज सेवकों का सम्मान समारेह

श्री डॉ. बालमुकुंदजी दामोदरदासजी धामट, चंद्रपूर
श्रीमती कुसुमजी बालमुकुंदजी धामट

श्री डॉ. योगेशजी देविदानजी मुन्धा, अकोला
श्रीमती डॉ. मनीषाजी योगेशजी मुंधा

उद्घाटन एवं अनावरण समारोह

१. सदस्यता पहचान पत्र का अनावरण व वितरण समारोह	-	श्री नारायणदासजी सुहाम के हस्ते
२. सोलर प्लांट सयंत्र प्रथम फेज ९.४४ KW का उद्घाटन	-	श्री अश्विनजी दुर्गादासजी सुहाम के हस्ते
		श्री अशोक कुमारजी प्रेमशंकरजी हरजाल के उपस्थिती में
	एवं	
द्वितीय फेज ९.४४ KW का आधारशीला	-	श्री योगेशजी देवचंदजी बुनिया के हस्ते
	-	श्री ललितमोहनजी जयनारायणजी धामट के उपस्थिती में
पालीवाल सेवा मंडल कि अधिकृत वेबसाइट का अनावरण	-	श्री संजयजी बन्सीलालजी कुलधर के हस्ते

वार्षिक सभा - दोप. ३.०० बजे से

नि:शुल्क आरोग्य शिविर

शुक्रवार दिनांक १५ अगस्त

समय सुबह १० बजे से दोप. १ बजे तक

शिविर में आनेवाले नागपुर के सुप्रसिध्द चिकित्सकोंद्वारा

वैरिकोस वेन्स चिकित्सा शिबिर

DINESH SHARMA, MD

DM Interventional Neuroradiologist

- वैरिकोस वेन्स
- गैंगरीन
- खून की गुठली (DVT)
- स्ट्रोक
- डायबेटिक फूट (पैर से) निगडित समस्या
- हाथ पैर की उँगलिया काली पड़ना और न भरने वाली जखम

ORBIT MULTISPECIALITY HOSPITAL

Expert Care | 24X7 Services | Well-Equipped Infrastructure

24/7 EMERGENCY SERVICE 77700 16622/33/44 www.orbitmultispecialityhospital.com

806, Bhande Plot Sq., Umred Road, Sakkardara, Nagpur-440024.

Dr. Gajendra Agrawal
Consultant Cardiologist
Director

Dr. Vikram M. Rathi
Consultant Pulmonologist
Director

Dr. Afzal Sheikh
Critical Care Physician, Ecmo Specialist
Director

Dr. Shrikant Bais
General Surgery
Director

Dr. Akash Duragkar
Consultant Physician & Diabetes Expert
Director

Dr. Jayshri V. Rathi
Consultant Gynaecologist

CAMP SERVICES

- ECG
- RBS
- PEAK FLOW METER READING
- VITAL CHECK-UP (PULSE, BP, OXYGEN SATURATION)

OUR SERVICES

- 24X7 Emergency & Trauma Care
- Advanced ICU & NICU
- Cardiology & Angioplasty
- Neurology & Neurosurgery
- Orthopaedics & Joint Replacement
- Gynecology & Painless Delivery
- Pediatrics & Neonatal Care
- Pathology, CT Scan, X-Ray, 2D Echo
- Dialysis Services
- Laparoscopic & General Surgery
- Dental Care & Implants
- Eye Care & Cataract Surgery
- Cancer Screening & Consultation
- Vaccination & Health Checkups
- Physiotherapy & Rehab
- Cashless Facility (TPA/Insurance)
- Online Appointments Available

रक्तदान शिविर

आयुष ब्लड सेंटर ॲन्ड कंम्पोनेंट लॅब

NRPL House, Plot No. 22/1, 3rd Floor, Khare Marg, Dhantoli, Nagpur.

Ph: 0712 2440236, 98604 97670

संपर्क **किशोर पालीवाल** M.: 9823225123

पालीवाल सेवा मंडल चुनाव - २०२५

पालीवाल सेवा मंडल चुनाव - २०२५

विशेष आमसभा दि. १६/०२/२०२५

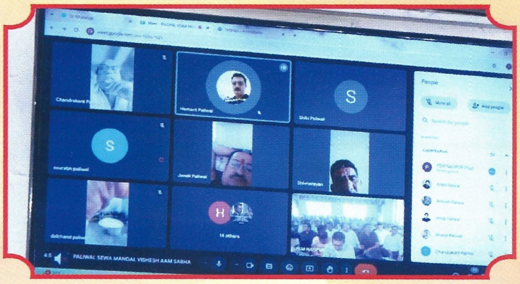

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर

र. संख्या ई-३३७ (एन) ६५

३८३, पं. जवाहरलाल नेहरु मार्ग, नागपुर - ४४००१२

वार्षिक सर्वसाधारण सभा की सूचना

मान्यवर महोदय / महोदया,

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर की ६१ वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा दि. १५ अगस्त २०२५ दिन शुक्रवार दोपहर ३.०० बजे ''पालीवाल सेवा मंडल भवन'' सीताबर्डी, नागपुर-१२ में होगी। सभा में निम्म विषयों पर विचार विमर्श होगा।

१. पिछली वार्षिक व विशेष सर्व साधारण सभाओ की वाचन एवं स्वीकृति

अ. वार्षिक सर्वसाधारण सभा १५ अगस्त २०२४ कार्यवाही का वाचन एवं स्वीकृति ।

ब. विशेष सर्वसाधारण सभा रविवार दि. १६/०२/ २०२५ की कार्यवाही का वाचन एवं स्वीकृति ।

क. विशेष सर्वसाधारण सभा रविवार दि. २७/०४/ २०२५ की कार्यवाही का वाचन एवं स्वीकृति ।

२. सचिव द्वारा वार्षिक विवरण का वाचन ।

३. ३१ मार्च २०२५ को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय एवं स्थिति विवरण का वाचन एवं स्वीकृति ।

४. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ के अंदाज पत्रक का पठन।

५. अंकेक्षण कि नियुक्ती करना ।

६. पालीवाल सेवा मंडल के संविधान संशोधन पर चर्चा एवं स्वीकृती । विधान में संशोधन का प्रारूप (Draft) इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

७. धर्मादाय आयुक्त में ५०/A के तहत संविधान संशोधन (Framing of Scheme) की अर्जी दाखिल करने की चर्चा एवं स्वीकृती ।

८. पालीवाल सेवा मंडल के भवन में फायर ऑडीट व ऑडीट संबधी अनुशंसा का पालन ।

९. रुख्मिणी माता के जन्मस्थान श्री क्षेत्र कौंडिण्यपुर में रुख्मिणी माता के विवाह का कार्यक्रम लेने बाबत चर्चा ।

१०. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

कार्यकारिणी के आदेशानुसार

अमर नंदकिशोर सुहाम

मंत्री

नागपुर

दिनांक : १७/०७/२०२५

विशेष सूचना:

१. कोरम के अभाव में आधे घंटे बाद उपरोक्त स्थान पर सभा की कार्यवाही होगी।

२. इस वार्षिक विवरण के संबंध में प्रश्न/सुझाव दि. ०९/०८/२०२५ तक विचार के लिये स्वीकार किये जाएँगे।

खेलकूद प्रतियोगिता –

रविवार १० अगस्त २०२५ को दोपहर २.०० बजे से ५.०० बजे तक बच्चों के लिये खेलकूद प्रतियोगिताओ आयोजन किया जायेगा। सभी अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों को लेकर समय पर पहुँचने का कष्ट करे।

संपर्क सूत्र

श्रीमती श्रुती गिरीशजी धामट
अध्यक्ष, महिला समिती
मो.नं. ९८२५१४३९६३

श्रीमती दुर्गा भोजराजजी हरजाल
महिला उपाध्यक्षा
मो. नं. ९२२६११९१५१

श्रीमती मीनाक्षी योगेशजी जस्सू
उत्सव समिती अध्यक्ष
मो नं. ९२७०७७७१७१

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर

र. संख्या ई-३३७ (एन) ६५

३८३, पं. जवाहरलाल नेहरु मार्ग, नागपुर - ४४००१२

वार्षिक विवरण - २०२४-२०२५

मान्यवर महोदय/महोदया,

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर की कार्यकारिणी समिति की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं आपके समक्ष ३१ मार्च २०२५ को समाप्त हुए वर्ष की आय-व्यय एवं स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

कार्यकारिणी की सभाएँ : कार्यकारिणी की नियमित रुप से सभाएँ होती रही हैं तथा प्रत्येक सभा में पिछली सभा का आय-व्यय प्रस्तुत एवं स्वीकृत किया जाता रहा है।

भवन : आपका पालीवाल सेवा मंडल देश के विभिन्न स्थानों से आए आगुंतक को आवास, समाजजन मंगल एवं अन्य कार्य के लिए निम्न शुल्क लेकर दिया जाता है। बारिये पर एक दिन के लिए भवन निशुल्क प्रदान किया जाता है। परंतु इलेक्ट्रिक व सफाई खर्च लिया जाता है। गत दिनों में आगंतुको की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अतः वैकल्पिक भवन की आवश्यकता है।

छात्रवृत्ति कोष : छात्रवृत्ति कोष की एफ.डी. आर. की राशि इस सत्र में १,२५,३०,४१६/- से बढ़कर रुपये १,२५,७६,४२१/- दिनांक ३१/३/२०२५ को हो गई है। पालीवाल सेवा मंडल द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति द्वारा लाभान्वित हुए छात्र-छात्राएँ आज उच्च पदों पर आसीन एवं व्यवसायरत हैं उनसे अपेक्षा है कि छात्रवृत्ति कोष में अपनी सहभागिता बढ़ाकर वर्तमान एवं आनेवाली पीढ़ी का भविष्य उज्वल करने में सहयोग दें।आपके मंडल की प्रथम प्राथमिकता होनहार छात्र-छात्राओं को सहयोग प्रदान करना है। इसी उद्देश पूर्ति के लिये छात्रवृत्ति कोष में अधिकतम राशि एकत्रित करना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी होनहार छात्र-छात्राओं को शिक्षित बनाने के लिये इस विद्यादान के यज्ञ में सहयोगी होकर पुण्य अर्जित करें।

सदस्यता : आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके मंडल की आजीवन सदस्य संख्या वर्तमान में २३४६ हो गई है। वर्तमान सदस्यता सुचिमे स्वर्गवासी सदस्योंके नाम भी निहित है अत: वास्तविक सदस्य संख्या की स्थिति जानने के लिए सदस्यता सूचि में संशोधन की आवश्यकता है, जिसका

कार्य प्रारंभ हो चूका है।

त्योहार एवं आयोजन : प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी १५ अगस्त स्थापना दिवस, गणेश उत्सव, शरदपूर्णिमा (कोजागिरी), दीपावली मिलन, खेलकूद स्पर्धाओं में विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोजागिरी का कार्यक्रम हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मनाया गया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों नें अपना योगदान दिया।

दीपावली मिलन : दीपावली मिलन के अवसर पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुरुष, महिला एवं बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। गणतंत्र दिवस : २६ जनवरी का झंडा वंदन कार्यक्रम श्री पं धनराजजी जस्सू नागपूर निवासी द्वारा संपन्न किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की।

रक्षाबंधन : हर वर्ष की तरह रक्षाबंधन पर पालीवाल एकता दिवस मनाया गया। जिसमें एकता का परिचय देकर समाज के उत्थान के लिए परमेश्वर से याचना की।

स्थापना दिवस : स्वतंत्रा दिवस एवं स्थापना दिवस के अवसर पर श्रीमान नथमलजी पालीवाल, जोधपुर प्रमुख अतिथि के रुप में उपस्थित रहे एवं विशेष अतिथि डॉ. श्यामजी पालीवाल मुंबई की उपस्थिति रही।

छात्रवृत्ति वितरण आवेदन पत्र : ऐसे छात्र/छात्राएँ जिन्हें छात्रवृत्ति की नितांत आवश्यकता है, वे कार्यालय से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्णतः भरकर आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ ३१/०८/२०२५ के पूर्व मंडल कार्यालय में जमा करें। ३१/०८/२०२५ के बाद आनेवाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पिछले सत्र में ७,६०,०००/- रुपये छात्रवृत्ति वितरित की गई थी।

महिला विकास कोष : नागपुर में महिलाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त राशि महिला कोष में जमा की जाती है। ३१ मार्च २०२५ तक एफडीआर ३,६०,०३०/- रु. हो गयी हैं। यह कोष बढ़ाने में महिला समिति प्रयासरत है। इस कोष का उपयोग महिलाओं के उत्थान एवं सहयोग के लिये किया जाएगा।

स्व. बालमुकुंदजी धामट स्मृति पुरस्कार: स्व. बालमुकुंदजी धामट की स्मृति मे १२ वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में (संपूर्ण भारत वर्ष से) समाज का जो छात्र/छात्रा सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होगा/होगी उसे पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर की ओर से स्व. बालमुकुंदजी धामट स्मृति पुरस्कार में रु.७१००/- प्रति वर्ष देकर सम्मानित किया जाता है। छात्र/छात्रा का चयन पालीवाल सेवा मंडल नागपुर में इस वर्ष १२

अगस्त २०२५ के पूर्व प्राप्त गुणपत्रिकाओं के आधार पर किया जाएगा। पिछले वर्ष यह पुरस्कार कु. खुशबु पूनमचंद पालीवाल को दिया गया।छात्र/छात्राओं के लिये विशेष पुरस्कार: प्रथम प्रयास में १० वीं एवं १२ वीं, व उच्च परीक्षाओं में कुल ८० प्रतिशत या इससे अधिक गुणांक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को हर वर्ष सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है। इसलिये संबंधित छात्र/छात्राओं से निवेदन है कि इस सम्मान के लिये पालीवाल सेवा मंडल कार्यालय में १२/०८/२०२५ के पूर्व गुणपत्रिका की झेरॉक्स कॉपी जमा करवा दें, एवं दि. १५/०८/२०२५ को स्थापना दिवस के अवसर पर अभिभावकों के साथ छात्र/छात्राएँ उपस्थित रहें ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके।

पालीवाल सेवा मंडल का उत्कर्ष-पालीवाल ब्राम्हण समाज की एकता, सदस्यों की सक्रियता, सहयोगिता, उदारमन दानदाताओं का योगदान, युवा पीढ़ी की समाज के प्रति जागरुकता, महिलाओं की भागीदारी पर निर्भर है। अंतः आप तन-मन-धन से अपना योगदान देकर मंडल को उन्नत शिखर पर पहुँचाने का प्रयास करें। आप सभी के सहयोग और योगदान के लिये हृदय से धन्यवाद !

आपका

अमर नंदकिशोरजी सुहाम

मंत्री

नागपुर

दिनांक : १७/०७/२०२५

आजीवन सदस्यों की सूची

दि.०१/०४/२०२४ से ३१/०३/२०२५ में बनने वाले

क्र.	नाम	गांव	राशी
१.	श्रीमती तानिया मयूर कुलधर	नागपूर	२१००.००

छात्रवृत्ती वितरण हेतु प्राप्त राशि दानदाताओं की सूची

दि.०१/०४/२०२४ से ३१/०३/२०२५ में बनने वाले

क्र.	नाम	गांव	राशी
१	श्रीमान विजयकुमारजी हरजाल	मोहपा	५१००/-
२	स्वर्गीय उदयकँवर गोकुलप्रसादजी धामट के स्मृति में श्रीमान सत्यनारायणजी गोकुलप्रसादजी धामट की ओर से	नागपुर	४२५०/-
३	स्वर्गीय गोकुलप्रसादजी धामट के स्मृति में श्रीमान सत्यनारायणजी गोकुलप्रसादजी धामट की ओर से	नागपुर	४२५०/-
४	श्रीमति प्रमिलाजी सत्यनारायणजी धामट	नागपुर	४२५०/-
५	श्रीमान सुरेशकुमारजी भिकुलालजी सुहाम	नागपुर	१५०००/
			३२८५०/-

छात्रवृत्ती कोष के लिए प्राप्त राशी दानदाताओं की सूची

दि.०१/०४/२०२४ से ३१/०३/२०२५ में बनने वाले

क्र.	नाम	गांव	राशी
१	स्वर्गीय सुषमादेवी राजेशजी पालीवाल के स्मृती में श्रीमान राजेश भूरेलाल पालीवाल की और से	टाकलघाट	११०००/-
			११०००/-

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर

आय-व्यय लेखा ३१ मार्च २०२५ को समाप्त हुए वर्ष के लिए

गत वर्ष २०२३-२४ रुपये पैसे	व्यय	रुपये पैसे	चालु वर्ष २०२४-२५ रुपये पैसे
१,९४,७२९.००	**संपत्तियो से संबंधित व्यय**		
	कॉरपोरेशन टैक्स	३६,८०८.००	
	भवन दुरुस्ती	१,०७,८५२.००	
	भवन इन्शुरन्स	८,२१२.००	१,५२,८७२.००
	व्यवस्थापन खर्च		
९,०६,५००.१३	संलग्न सूची अनुसार		८,९६,१०६.६९
२७,८९९.००	वकील फी		११,५००.००
५,९००.००	ऑडिट फी		७,०८०.००
	इंकम टैक्स (२०२४)		८३८.००
५००.००	अन्य व्यय		
४,००,३०६.००	**घसारा**		
	स्थायी संपत्तियाँ	२,८९,१६३.००	
	अन्य संपत्तियाँ	८१,३६१.००	३,७०,५२४.००
२३,८४९.००	हस्तातरीत महिला समिती कोष	२४,३२०.००	२४,३२०.००
८,९७,२७८.००	**संस्था के निहित उद्देश्यों के लिये व्यय**		
	त्यौहार विशेष कार्यक्रम आयोजित हेतु	८७,९८७.००	
	शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति	७,६०,०००.००	
	छात्रों को पुरस्कार	७,१००.००	
	वर्तमान पत्र	२,३४५.००	८,५७,४३२.००
८,४४,२५२.८७	**आधिक्य**		४,२९,४८८.३१
	व्यय पर आय का आधिक्य स्थिति विवरण को स्थानांतरित		
३३,०१,२१४.००	कुल योग		२७,५०,१६१.००

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर

आय-व्यय लेखा ३१ मार्च २०२५ को समाप्त हुए वर्ष के लिए

गत वर्ष २०२३-२४ रुपये पैसे	आय	रुपये पैसे	चालु वर्ष २०२४-२५ रुपये पैसे
१६,८२,२१५.००	**छात्रावास भवन से प्राप्त**		
	भवन शुल्क	३,६२,२५०.००	
	छात्रावास शुल्क	५,९६,०००.००	
	अतिथि शुल्क	२,९८,०५०.००	
	होर्डींग आय	७०,५६०.००	
	अन्य आय		१३,२६,८६०.००
१२,९३,७८०.००	**व्याज**		
	बचत खाते से	३१,९९९.००	
	फिक्स डिपोजिट से		
	छात्रवृत्ति कोष	८,८७,५५६.००	
	जनरल फंड	४,३८,५९६.००	
	हस्तांतरीत महिला समिति कोष	२४,३२०.००	
	इनकम टैक्स रिफंड	७,९८०.००	१३,९०,४५१.००
३,२५,२१९.००	**दान से प्राप्त**		
	छात्रवृत्ति वितरण हेतु	३२,८५०.००	३२,८५०.००
	आधिक्य		
	व्यय पर आय का आधिक्य स्थिति विवरण को स्थानांतरित		
३३,०१,२१४.००	**कुलयोग**		**२७,५०,१६१.००**

संलग्न विवरण के अनुसार
कृते **लोया बागडी ॲन्ड कंपनी**
रजि. नं. 105658 W
चार्टर्ड अकाउन्टेंटस्
ललित व्ही. लोया
पार्टनर

नागपुर
दिनांक : १७/०७/२०२५

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर

स्थिति विवरण ३१ मार्च २०२५ को

गत वर्ष २०२३-२४ रुपये पैसे	कोष एवं देयता	रुपये पैसे	चालु वर्ष २०२४-२५ रुपये पैसे
१४,४२,७६५.५९	**विस्वस्त निधी**		
	गतवर्ष स्थिति विवरण	१४,४२,७६५.५९	
	इस वर्ष प्राप्त राशि	२,१००.००	१४,४४,८६५.५९
२,०९,८३,९०७.९३	**अन्य निधी**		
	संलग्न सूची के अनुसार		२,१०,१९,२२७.९३
	उदा.भवन निधी, भवन नवनिर्माण निधी,		
	छात्रवृत्ति कोष, बर्तन निधी इत्यादि		
१,२१,७१०.००	**देयता भुगतान**		१,४१,१००.००
	अग्रिम राशि संलग्न सूची के अनुसार		
	छात्रावास अमानत राशि		
	भवन बुकिंग एडवांस		
२३,४८,४७३.०९	**आय व्यय खाता**		
	गत वर्ष स्थिती विवरणानुसार	२३,४८,४७३.०९	
	व्यय पर आय का आधिक्य स्थिति		
	विवरण को स्थानांतरित	४,२९,४८८.३१	२७,७७,९६१.४०
२,४८,९६,८५६.६१	**कुलयोग**		**२,५३,८३,१५४.९२**

उपरोक्त स्थिति विवरण हमारे विश्वासानुसार निधी एवं
दायित्वों तथा संपत्तियों की सत्यता प्रस्तुत करता है।

संलग्न विवरण के अनुसार
कृते **लोया बागडी ॲन्ड कंपनी**
रजि. नं. 105658 W
चार्टर्ड अकाउन्टेंटस्
ललित व्ही. लोया
पार्टनर

नागपुर
दिनांक : १७/०७/२०२५

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर

स्थिति विवरण ३१ मार्च २०२५ को

गत वर्ष २०२३-२४ रुपये पैसे	संपत्तियाँ	रुपये पैसे	चालू वर्ष २०२४-२५ रुपये पैसे
४२,८९,७४०.००	स्थायी संपत्तियाँ (संलग्न सूची अनुसार)		४०,००,५७७.००
	फर्नीचर एंड फिक्सचर्स		
६,२४,६९२.००	(संलग्न सूचीनुसार)		५,९९,५५३.००
२,४४,७०९.००	**अग्रिम राशि**		३,१३,३२१.००
	अन्य (संलग्न सूची अनुसार)		
४७,१०५.००	**डिपोजिट्स**		४७,१०५.००
	संलग्न सूची अनुसार)		
७,८५०.००	**बकाया आय**		
	ब्याज		८,१६२.००
१,९६,८२,७६०.६१	**रोख रक्कम और बँक में जमा**		
	हस्तस्थरोख ट्रस्टी के पास	१,४८४.००	
	बचत खाता (संलग्न सूचीनुसार)	७,७६,५०१.९२	
	फिक्स डिपॉझिट		
	छात्रवृत्ति कोष (पी.एन.बी)	१,२५,७६,४२१.००	
	ट्रस्ट फंड (पी.एन.बी.)	६७,००,०००.००	
	महिला समिति फंड (पी.एन.बी.)	३,६०,०३०.००	२,०४,१४,४३६.९२
२,४८,९६,८५६.६१	कुलयोग		२,५३,८३,१५४.९२

Accounting policies (1) Fixed Assets are stated at written down value (2) Depreciation is provided on written down value method (3) Accounts are maintained on cash in general except interest on bank fixed deposits, Hoarding income & Bhawan booking.

मोतीलाल खूबचंदजी हरजाल	अमर नंदकिशोरजी सुहाम	पं. जनार्दन किशोरीलालजी हरजाल
अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर

३१ मार्च २०२५ को सविस्तार सूची

गत वर्ष २०२३-२४ रुपये पैसे	देयता अन्य फंड (ईअर मार्क)	रुपये पैसे	चालू वर्ष २०२४-२५ रुपये पैसे
१,३७,३५९.४३	**भवन निधी**		१,३७,३५९.४३
	गतवर्ष स्थिति विवरणानुसार		
	भवन नव निर्माण निधी		
८४,९३,३७५.००	गतवर्ष स्थिति विवरणानुसार	८४,९३,३७५.००	
	इस वर्ष में प्राप्त		८४,९३,३७५.००
१,१७,८६,२०९.५०	**छात्रवृत्ति कोष**		
	गतवर्ष विवरणानुसार	१,१७,८६,२०९.५०	
	इस वर्ष प्राप्त राशि	११,०००.००	१,१७,९७,२०९.५०
१६,८०६.००	**बर्तन निधी**		१६,८०६.००
	गत वर्ष स्थिति विवरणानुसार		
४,४४,१५८.००	**महिला समिति फंड**		
	गत वर्ष विवरणानुसार	४,४४,१५८.००	
	एफ .डी.पर व्याज	२४,३२०.००	४,६८,४७८.००
	चल संपत्ति निधि		
८१,०००.००	गत वर्ष विवरणानुसार	८१,०००.००	
	इस वर्ष प्राप्त राशि		८१,०००.००
	लायब्रेरी फंड		
२५०००.००	गतवर्ष विवरणानुसार	२५,०००.००	२५०००.००
२,०९,८३,९०७.९३	**कुल योग**		**२,१०,१९,२२७.९३**
	अग्रिम राशि		
१७,१००.००	भवन बुकिंग अॅडव्हांस		१९,१००.००
१,०४,०००.००	छात्रावास अमानत राशि		१,२२,०००.००
६१०.००	TDS payable		
१,२१,७१०.००	**कुलयोग**		**१,४१,१००.००**

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर

३१ मार्च २०२५ को सविस्तार सूची

गत वर्ष २०२३-२४ रुपये पैसे	स्थायी संपत्तियाँ	रुपये पैसे	चालू वर्ष २०२४-२५ रुपये पैसे
	संपत्तियाँ ३१ मार्च, २०२५ सविस्तार सूची		
	स्थायी संपत्तियाँ		
१००००.००	भूमि भवन का अघटित मूल्य भवन		१००००.००
३५,२७,९८०.००	**भवन**		
	गतवर्ष स्थिति विवरणानुसार	३५,२७,९८०.००	
	घटाया घसारा	(१,७६,३९९.००)	
	लिफ्ट कार्य		
	चालू वर्ष में बढाया		
३५,३७,९८०.००	**कुलयोग**		**३३,६१,५८१.००**
	फर्नीचर एंड फिक्सचर्स		
	(अन्य स्थायी संपत्ति सहित)		
१,९६,६३६.००	फर्नीचर		
	गतवर्ष स्थिति विवरणानुसार	१,९६,६३६.००	
	चालू वर्ष बढाया		
	घटाया घसारा	(१९,६६४.००)	१,७२,९७२.००
१,०१,९५२.००	**स्कंध**		
	गतवर्ष स्थिति विवरणानुसार	१,०१,९५२.००	
	चालू वर्ष में बढाया	----	
	घटाया घसारा	(१९,६६४.००)	१,२१,६४२.००
७,४८७.००	**बिजली मोटर पंप**		
	गत वर्ष स्थिति विवरणानुसार	७,४८७.००	
	चालू वर्ष में बढाया		
	घटाया घसारा	(१,१२३.००)	६,३६४.००
१०,२४८.००	**संगणक**		
	गत वर्ष स्थिति विवरणानुसार	१०,२४८.००	
	चालू वर्ष स्थिति विवरणनुसार	--	
	घटाया घसारा	(४,०९९.००)	६,१४९.००
४५,७३८.००	**पंखे और कूलर**		
	गत वर्ष स्थिति विवरणानुसार	४५,७३८.००	
	चालू वर्ष में बढाया	२२,०३०.००	
	घटाया घसारा	(९,६१८.००)	५८,१५०.००

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर

३१ मार्च २०२५ को सविस्तार सूची

गत वर्ष २०२३-२४ रुपये पैसे	स्थायी संपत्तियाँ ३१ मार्च २०२५ को सविस्तार सूची	रुपये पैसे	चालू वर्ष २०२४-२५ रुपये पैसे
१९०.००	गैस भट्टी		
	गत वर्ष स्थिति विवरणानुसार	१९०.००	
	घटाया घसारा	(२९.००)	१६१.००
११,२०५.००	लाउड स्पीकर		
	गत वर्ष स्थिति विवरणानुसार	११,२०५.००	
	घटाया घसारा	(१,६८१.००)	९,५२४.००
६३,६७९.००	वाटर कूलर		
	गत वर्ष स्थिति विवरणानुसार	६३,६७९.००	
	चालू वर्ष में बढाया		
	घटाया घसारा	(९,५५२.००)	५४,१२७००
१,५६,.०७०	वातानुकूलित यंत्र		
	गत वर्ष स्थिति विवरणानुसार	१,५६,०७०.००	
	चालू वर्ष में बढाया		
	घटाया घसारा	(२३,४१०.००)	१,३२,६६०.००
४,४२९.००	गीझर		
	गत वर्ष स्थिति विवरनानुसार	४,४२९.००	
	चालू वर्ष से बढाया	----	
	घटाया घसारा	(६६४.००)	३,७६५.००
१८,५८५.००	सी.सी.टी.व्ही. कैमरा		
	गत वर्ष स्थिति विवरणानुसार	१८,५८५.००	
	चालू वर्ष में बढाया	----	
	घटाया घसारा	(२,७८८.००)	१५,७९७.००
२,९४०.००	फर्नीचर (लायब्रेरी)		
	गतवर्ष स्थिति विवरणानुसार	२,९४०.००	
	घटाया घसारा	(२९४.००)	२,६४६.००
५३४.००	मोबाइल फोन		
	गतवर्ष स्थिति विवरणानुसार	५३४.००	
	चालु वर्ष में बढाया	८,१००.००	
	घटाया घसारा	(१४०)	७९५.००
९३५.००	अग्निश्यामक यंत्र		
	गत वर्ष स्थिति विवरणानुसार	९३५.००	
	घटाया घसारा	(१४०.००)	७९५.००

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर

३१ मार्च २०२५ को सविस्तार सूची

गत वर्ष २०२३-२४ रुपये पैसे	स्थायी संपत्तियाँ ३१ मार्च २०२५ को सविस्तार सूची	रुपये पैसे	चालू वर्ष २०२४-२५ रुपये पैसे
१४१.००	लायब्रेरी		
	गत वर्ष स्थिति विवरणानुसार	१४१.००	
	घटाया घसारा	(१४.००)	१२७.००
७,५१,७६०.००	लिफ्ट		
	गत वर्ष स्थिति विवरणानुसार	७,५१,७६०	
	घटाया घसारा	(१,१२,७६४)	६,३८,९९६.००
३,९२३	साउंड सिस्टम		
	चालू वर्ष में बढाया	३,९२३.००	
	घटाया घसारा	(५८८.००)	३,३३५.००
२,४४,७०९.००	आई.टी.रिफण्ड रिवर्सेवल (ए.वाय २०२३-२४)	१,५९,८४१.००	
	आई.टी.रिफण्ड रिवर्सेवल (ए.वाय २०२४-२५)	१,५३,४८०.००	३,१३,३२१.००
	डिपोजिट्स		
२५,४०५.००	एम .एस.ई.बी.नागपुर	२५,४०५.००	
७,२००.००	गैस डिपोजिट (एच .पी .सी .एल)	७,२००.००	
१०,०००.००	एन.एम.सी.(एस.डी .)	१०,०००.००	
४,५००.००	एन .एम.सी .(मेन्टेनन्स)	४,५००.००	४७,१०५.००
	<u>रोख रक्कम एवं बैंक बेलेन्स</u>		
७,६०,३९६.६१	पंजाब नॅशनल बैंक के बचत खाते में		
	खाता क्र.१३०३५५ (छात्रवृत्ति कोष)	२,१७,८८५.५३	
	खाता क्र.१३०३६४ (भवन नव निर्माण)	८,७८५.१८	
	खाता क्र.१४१२१८ (विश्वस्त निधी)	५,२८,१९८.२१	
	खाता क्रं. ७९६३ (छात्रवृत्ती कोष)	२१,६३३.००	७,७६,५०१.९२
	फिक्स्ड डिपॉजीट		
	PNB (छात्रवृत्ती कोष)	१,२५,७६,४२१.००	
	PNB / SBI (विश्वस्त निधी)	६७,००,०००.००	
	(महिला समिति)	३,६०,०३०.००	१,९६,३६,४५१.००
		कुल योग	२,०४,१२,९५२.९२

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर

आय व्यय लेखा ३१ मार्च २०२५ को समाप्त हुए वर्ष की सविस्तार सूची

व्यवस्थापन खर्च	रुपये
वेतन	२११९००.००
बोनस	१७६००.००
आम सभा	१८५००.००
संगणक खर्च	१५००.००
बिजली बिल	३४६५९०.००
छपाई व स्टेशनरी	५४७४.००
पोस्टज व कुरियर	६६३२.००
सभा खर्च	४३३०.००
टेलीफोन बिल	५६९८.००
बिजली दुरस्ती	५६१९४.००
बँक चार्जेज	१४६९.६९
लिफ्ट रखरखाव खर्च	२६०००.००
पाणी बिल	१०८२२.००
भवन साफ सफाई	१५५२३८.००
फोटो फ्रेमिंग	२१००.००
मोबाईल रिचार्ज	१३५६.००
फोटोकॉपी/	२१९८.००
कपडे धुलाई	२०३९५.००
संप्रेषण	२११०.००
कुल योग	**८,९६,१०६.६९**

एक नजर में मंडल का पंचवर्षीय एवं ३१.३.२०२५ तक का विकास

पहले संबंधित वित्तीय वर्ष के आँकडे दिये हैं, तत्पश्चात ३१ मार्च २०२५ तक का स्थिति दी गई है ।

वर्ष	२०२०-२०२१	२०२१-२०२२	२०२२-२०२३	२०२३-२०२४	२०२४-२०२५
छात्रवृत्ति वितरण	७,२५,०००.००	५,५५,०००.००	६,६५,०००.००	७,५०,०००.००	७,६०,०००.००
३१ मार्च २५ तक	९,०२६,४४९.००	९५,८१,७७९.००	९,०२,३६,७७९.००	१,०९,८६,७७९.००	१,१७,४६,७७९.००
सदस्यता संख्या	६२.००	११.००	६.००	११.००	१.००
	२,३१७.००	२,३२८.००	२,३३४.००	२,३४५.००	२,३४६.००
सदस्यता निधी	१,२८,१००.००	२३,१००.००	१२,६००.००	२३,१००.००	२,१००.००
	१३,८३,९६५.००	१४,०७,०६५.००	१४,१९,६६५.००	१४,४२,७६५.००	१,४४,२४,९६५.००
भवन नव निर्माण निधी	८४,७२,३७४.००	८४,८८,३७४.००	८४,९३,३७५.००	८४,९३,३७५.००	८४,९३,३७५.००
छात्रवृत्ति निधी	१,७२,२००.००	१,७६,००१.००	१६,२६,००१.००	१,९१,१११.००	११,०००.००
	८७,९३,०१६.००	९९,६९,०९७.००	१,१५,९५,०९८.००	१,१७,८६,२०९.००	१,१७,९४,२०९.००

पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर
अंदाज पत्रक २०२५-२६

व्यय	२०२५-२६	आय	२०२५-२६
वेतन तथा बोनस	४८४०००.००	बचत खाते पर ब्याज	२५०००.००
बिजली बिल	२०००००.००	छात्रवृत्ती एफ.डी.आर पर ब्याज	७५००००.००
छपाई व स्टेशनरी	१००००.००	सदस्यता शुल्क	२१००००.००
पोस्टज व कुरियर	२००००.००	छात्रावास शुल्क	४५६०००.००
सभा खर्च	१५००००.००	भवन शुल्क	७०००००.००
टेलीफोन बिल	६०००.००	छात्रवृत्ती वितरण निधी	२०००००.००
बिजली दुरस्ती	५००००.००	होर्डिंग	१४००००.००
बँक चार्जेज	२५००.००	फिक्स डीपोजीट पर ब्याज	३६००००.००
कार्यालयीन व्यय	२००००.००	अन्य आय	२००००.००
पाणी बिल	२००००.००	अतिथी शुल्क	२०००००.००
भवन साफ सफाई	२००००.००	भवन निधी- दानदाता	९०००००.००
फोटो फ्रेमिंग	५००००	सुविधाये -सोलर सयंत्र	
फोटो फ्रेमिंग	५००००.००		
फोटोकॉपी	३०००.००		
कपडे धुलाई	२००००.००		
कॉरपोरेशन टक्स	४००००.००		
अंकेषण/कानुनी खर्च	२०००००.००		
त्योहार खर्च	१५००००.००		
छात्रवृत्ती वितरण	९०००००.००		
न्यूज पेपर	२५०००.००		
छात्रावास में सुविधाये	२०००००.००		
फायर सयंत्र	४०००००.००		
भवन में अतिरिक्त सुविधाये - सोलर सयंत्र	८५००००.००		
व्यय पर आय का अधिक्य	१४०५००.००		
कुल योग	**३९६१०००.००**	**कुल योग**	**३९६१०००.००**

स्थापना १५ अगस्त १९६१ राजि नं. ई ३३७ (ना.) ६५

पालीवाल सेवा मंडल नागपुर

पालीवाल सेवा मंडल, ३८३, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, झिरो माइल के पास, सीताबर्डी, नागपूर ४४० ०१२

प्रारूप विधान

१)	संस्था का नाम : -	इस संस्था का नाम "पालीवाल सेवा मंडल" है।
२)	पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र व कार्य वर्ष	१. इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय " पालीवाल सेवा मंडल, ३८३, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, झिरो माइल के पास, सीताबर्डी, नागपूर ४४० ०१२ है। २. इसका कार्यक्षेत्र संचालन क्षेत्र संपूर्ण भारत और विदेश होगा । ३. संस्था का कार्यवर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा ।
३)	संस्था के उद्‌देश	पालीवाल समाज की सर्वतोमुखी उन्नति करना है।
		इस उद्‌देश की पूर्ति के लिये संस्था निम्न लिखित कार्य करेगा। १. पालीवाल धर्मशाला बनाने के लिए निधि एकत्रित करना। २. विद्‌यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने के लिए निधि एकत्रित करना। ३. सामाजिक, राष्ट्रीय विषयों पर प्रवचन, वादविवाद, लेख प्रतियेगिता आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर समाज के बौध्दिक विकास में योग देना। ४. समाज को संगठित कर राष्ट्रोन्नति के कार्य के लिए प्रेरित करना। ५. जातीय उन्नति में सहायक साहित्य का निर्माण करना। ६. दान,चन्दा, सदस्यता शुल्क तथा अन्यप्रकार की सहायता , कानूनी उपायोसे एकत्रित करना। ७. संस्था की स्थावर व जंगम तथा अन्य सब प्रकार की सम्पति का उचित प्रबंध कर के आय का साधन बनाना अथवा संस्था के ही कार्य में उसका उपयोग करना। ८. योग्य कानूनी तरीकों से कर्ज लेना, या देने का अधिकार किसी भी समय संस्था की कुल संपत्ती के मूल्य के १/४ से अधिक न होगा। ९. मंडल अपने उद्‌देशों की पूर्ती के लिये उपसमितियां संगठित करेगा। १०. विद्‌यार्थियों को छात्रवृत्ती देकर योग्य सहायता देना। इन विद्‌यार्थियों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे समाज सेवा कार्य में सक्रिय सहयोग देते रहेंगे। ११. देशपर अतिवर्षा के कारण अकाल, बाढ या दुर्घटना आदि आपत्ति आ जाये तो उससे त्रस्त लोगों को संस्था की ओर से यथाशक्ति मदद करना। उपरोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है। संस्था की समस्त सम्पति का उपयोग संस्था के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा कोई अन्य व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकेगा।
४	सदस्यता	
		१. जिन सज्जनों को इस संस्था के नियम व उपनियम मान्य होंगे एवं कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्रदान होगी वे ही सज्जन संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

पालीवाल सेवा मंडल प्रारूप विधान

		२. समाज का कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु १८ वर्ष की या उससे अधिक है वह संस्था का सदस्य बन सकता है। ३. जिन सज्जनों की सदस्यता अस्वीकृत हो जायेगी उन सज्जनों को अस्वीकृती का कारण स्पष्ट करने के लिये संस्था बाध्य नहीं रहेगी।
५	सदस्यों का वर्गीकरण	
		१. संरक्षक सदस्य जो सज्जन कम से कम एक लाख रुपये की सहयता एक मुश्त या १ वर्ष के भीतर पांच किस्तों में देंगे वे संरक्षक सदस्य माने जायेंगे। ये सदस्य अपने जीवन काल के लिये होंगे या अपने जीवन काल में भी अपना उत्तराधिकारी अथवा समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर नामजद कर सकेंगे। २. आजीवन सदस्य जो सज्जन संस्था को कम से कम २१००/- रुपये एक मुश्त देंगे वे आजीवन सदस्य माने जावेंगे।
६	सदस्यता से निष्कासन	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्नप्रकार किया जा सकेगा :-
		१ त्यागपत्र देनेपर २ संस्था के उद्देशोके विपरीत कार्य करने पर ३ कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर, अवैधानिक, अशोभनीय, अनशासनहीन व्यवहार अथवा किसी अन्य अनुचित कार्य करने पर को सदस्यता से अलग करने का अधिकार है। उक्त प्रकार की निष्कासन की अपील १५ दिन के अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जाएगी तथा सर्वसाधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा ।
७	साधारण सभा	संस्था के उपनियम संख्या ५ में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
८	साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य	साधारण सभा के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे,
		१. कार्यकारिणी का चुनाव करना। २. वार्षिक बजट पारित करना। ३. कार्यकारिणी द्वारा किये गए कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना। ४. सदस्यो व्दारा एक माह पूर्व सूचित किये गये प्रस्तावों पर विचार। ५. संस्था की जायदाद में कम करने या उसे घटाने या बढाने का अधिकार संस्था की साधारण सभा मे उपस्थित सदस्यों में से ७५% सदस्यों की अनुमति से होगा। ६. संस्था के कुल उपस्थित सदस्यों के २/३ बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना । (नोट- जो धर्मादाय आयुक्त के कार्यालय में जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागु होगा)
९	साधारण सभा की बैठके	
		१. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/ मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

		२. संस्था के १/३ अथवा १०० सदस्य इनमे से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/ अध्यक्ष द्वारा १ माह के अन्दर बैठक आहूत करना आवश्यक होगा. निर्धारित अवधि में मंत्री/ अध्यक्ष द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त १०० सदस्यों में से कोई भी १० सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होगे ।
१०	साधारण सभा का कोरम	
		१. सार्वसाधारण सभा या विशेष सर्व साधारण सभा का कोरम १०० सदस्यों का होगा। २. कोरम अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः आधे घन्टे के पश्चात पूर्व निर्धारित स्थान और समय पर आहूत की जा सकेगी, ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे।
११	साधारण सभा की सुचना	
		१. साधारण सभा की सुचना १५ दिन पूर्व देनी होगी, ऐसी सभी सूचनाओं में सभा का समय, दिन, स्थान और विषय का समावेश होगा। २. साधारण सभा की सूचना सदस्यों को पत्र द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (जैसे ईमेल), SMS द्वारा, और व्हाट्सएप द्वारा दी जाएगी, जिसका ब्यौरा सदस्य से प्राप्त जानकारी से संस्था के रजिस्टर में दर्ज होगा।
१२	कार्यकारिणी समिति का गठन	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलने के लिए एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी एवं सदस्य निम्न प्रकार के होंगे।
		१) अध्यक्ष -१ २) उपाध्यक्ष २ : एक उपाध्यक्ष महीलाओं में से रहेगी. ३) मंत्री - १ ४) उपमंत्री -२ : एक उपमंत्री छात्रोंमें से रहेगा. ५) अर्थमंत्री -१ ६) उपअर्थमंत्री -१ ७) सदस्य -११ कार्यकारिणी समिति में ८ पदाधिकारी, ११ सदस्य होंगे. निवार्तमान अध्यक्ष एवं मंत्री कार्यकारिणी समिती के पदेन सदस्य रहेंगे , इस प्रकार कार्यकारिणी समिति कुल २१ सदस्य रहेंगे।
१३	कार्यकारिणी का निर्वाचन	
		१ संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव २ वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा, किंतु जब तक नयी कार्यकारिणी गठित नही होगी तब तक पुरानी कार्यकारिणी संस्था का कार्य संभालेंगे। २ चुनाव प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा। ३ चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी समिति या विशेष परिस्थिति में साधारण सभा द्वारा की जाएगी । ४ चुनाव की नियमावली इस विधान के **परिशिष्ट १** में दी गयी है।

		५ संस्था का सदस्य कार्यकारिणी में पदाधिकारी के रूप में अधिकतम तीन बार ही रह सकता है, और कार्यकारिणी का सदस्य भी अधिकतम तीन बार ही रह सकता है।
१४	कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य	संस्था के कार्यकारिणी के निम्म लिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे -
		१. सदस्य बनाना/ निष्कासित करना। २. वार्षिक बजट तैयार करना। ३. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना। ४. वैतनिक कर्मचारियोंकी नियुक्ति करना उनके वेतन भत्तो का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना। ५. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। ६. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितिया बनाना। ७. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना। ८. कार्यकारिणी में कोई भी स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ती के लिये किसी भी व्यक्ति को कार्यकारिणी नियुक्त कर सकेगी. नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल कार्यकारिणी के अनुरूप होगा। ९. अन्य संस्था में प्रतिनिधि नामजद करना व नामजद व्यक्ति को इस संस्था का सदस्य होना अनिवार्य है। १०. संस्था की समस्त कार्यवाही का ब्यौरा एक नियत रजिस्टर में दर्ज किया रहेगा तथा उस पर अध्यक्ष और मंत्री के हस्ताक्षर रहेंगे।
१५	कार्यकारिणी की बैठके	
		१. कार्यकारिणी वर्ष में कम से कम ५ बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवशकता होने पर अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। २. कार्यकारिणी के किन्ही ५ सदस्योंके आवेदन पर मंत्री को ७ दिन के अन्दर कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना अनिवार्य होगा।
१६	कार्यकारिणी की बैठको का कोरम	
		१. बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। २. कोरम के आभाव में बैठक स्तगित की जा सकेगी जो पुनः दुसरे दिन निर्धारित स्थान और समय पर होगी, ऐसी स्तगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे, ऐसी स्तगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम ३ पदाधिकारियोंकी उपस्थिति अनिवार्य होगी।
१७	कार्यकारिणी की बैठक की सुचना	
		१. बैठक की सूचना प्राय: ७ दिन पूर्व दी जाएगी तथा आवश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकेगी । २. कार्यकारिणी की बैठक की सूचना सदस्यों को पत्र द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (जैसे ईमेल), SMS द्वारा, और व्हाट्सएप द्वारा दी जाएगी, जिसका ब्यौरा सदस्य से प्राप्त जानकारी से संस्था के रजिस्टर में दर्ज होगा ।

१८	कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य	कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे।
		१. अध्यक्ष १. बैठकों की अध्यक्षता करना। २. संस्था के संगठन की दृष्टि से तथा उसके दायित्व व प्रतिष्ठा के नाते किसी ऐसे प्रस्ताव को सभा में उपस्थित करने से रोकना, जिससे संस्था को हानि पहुंचने की संभावना है। ३. व्यर्थ की आलोचना, व्यक्तिगत आक्षेप व अन्य बातें सभा में बोलने से रोक देने का पूर्ण अधिकार हो। ४. असंयम दिखलाने की दशा में अध्यक्ष को अधिकार है कि किसी सदस्य को शांत रखने के प्रयत्न में असफल होने पर उसे सभा से अलग हो जाने का आदेश दें, आक्षेप पर सभा की कार्यवाही स्थगित कर देने का अधिकार होगा। ५. मत विभाजन के समय समान मत होने पर निर्णायक मत देना। ६. संस्था व्दारा स्वीकृत किये गये प्रस्तावो को कार्यान्वित करना तथा मंडल का कार्य नियमित रुप से चले ऐसा नियंत्रण रखना। ७. संविदा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना। ८. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
		२. उपाध्यक्ष १. संस्था की समस्त प्रवृत्तियों को सफल बनाने में अध्यक्ष को सहयोग देना। २. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वाह करना।
		३. मंत्री १. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दायीत्व को पूर्ण करने में सहायता देना। २. कार्यालय तथा मंडल की समस्थ गतिविधी के लिये उत्तरदायी रहकर मंडल का कार्यभार संभालना। ३. संस्था के चंदे की रकम, जायजाद संपती का उचित रूपसे निरीक्षण करना तथा सुरक्षित हाथो मे रखना। ४. बहुमत से निश्चित कार्यक्रम का ठीक रूपसे संचालन करना। ५. समय पर आये हुये कार्यालय के पत्र का ठीक से उत्तर देना तथा कार्यालय के आधीन समस्त कार्यों का निरीक्षण करना। ६. संस्था के समस्त सदस्यों की कठिनायो एवं पारेस्थितीयो की जानकारी तथा उनकी शिकायतों पर उचित ध्यान देकार उस पर योग्य सलाह व निर्णय देना। ७. कार्यकारिणी के सलाहसे मंडल के कर्मचारियो को नियुक्त करना, उनका वेतन निश्चित करना तथा उनके नोकरी से सलग्न करना। ८. संस्था के संबधित प्रत्येक से समिति सरकारी कानुनी कार्यवाही करना। ९. संस्थासे सबंदीत प्रत्येक समितीसे से संबंध स्थापित कर वहाँ की प्रबंध समितीयो पर समय समय पर निरिक्षण करना, १०. संस्थासे से संबंधित अन्य कार्या कोकार्यान्वित करणे के लिये मंडल के किसी सदस्य को आदेश देना।

पालीवाल सेवा मंडल प्रारूप विधान

		४. उपमंत्री १. मंत्री की समस्त प्रवृत्तियोको सहायक होगी तथा उनकी अनुपस्थी ती मे उसका कार्यभार संभालेगा। २. मंडल के समस्त्त कार्योपर भी ध्यान देते राहेगे।
		५. कोषाध्यक्ष १. संस्था की संपत्ती सबंधित मामलों की जबाबदारी मंडल के कोषाध्यक्ष की होगी. मंडल के समस्त आयव्यय का हिसाब रखना कोषाध्यक्ष के आधीन रहेगा। २. अध्यक्ष की अनुमती बिना किसी को रकम देना या खर्च करना मान्य नहीं होगा। ३. खर्च या जमा की रसीदे प्राप्त करना आवश्यक होगा।
		६. अन्य सदस्य १. कार्यकारीनी के अन्य सदस्य समय समय पर अपने सुविचार से संस्था की प्रगति पर सलाह दे सकेंगे और उन्हें संस्था के कार्यकारीनी पदाधिकारियों के कार्यों में पूर्ण मदत पहुचाते रहगे। २. मंडल के मंत्री द्वारा सूचित कार्योपर सुचारू रूपसे पारीत करने के लिये जिम्मेदार रहेंगे।
१९.	प्रथम कार्यकारिणी समिति	दिनांक २७.०४.२०२५ को कार्यकारिणी समिति का चुनाव हुआ जिसमे निम्मलिखित सदस्य कार्यकारिणी समिति में चुने गए-
		१. अध्यक्ष : श्रीमान मोतीलाल खूबचंद पालीवाल २. उपाध्यक्ष: श्रीमान राजेंद्र मोहनलाल ठोमा ३. उपाध्यक्ष: श्रीमती दुर्गा भोजराज पालीवाल ४. मंत्री : श्रीमान अमर नंदकिशोर पालीवाल ५. उपमंत्री : श्रीमान अमोल शिवनारायण पालीवाल ६. कोषाध्यक्ष: श्रीमान जनार्दन किशोरिलाल पालीवाल ७. उप कोषाध्यक्ष: श्रीमान राधेश्याम पालीवाल ८. छात्रमंत्री : श्रीमान रोहिन गोपाल पालीवाल ९. सदस्य १. श्रीमान राधेशाम सुन्दरलाल पालीवाल २. श्रीमान बालकिसन सोमराज पालीवाल ३. श्रीमान रमेश अमृतलाल पालीवाल ४. श्रीमान भगवतीप्रसाद सतीदान पालीवाल ५. श्रीमती सुनीता गोपाल पालीवाल

		६. श्रीमती प्रियंका प्रशांत पालीवाल ७. श्रीमान नितिन बदरीप्रसाद पालीवाल ८. श्रीमान सचिन घनशाम शर्मा ९. श्रीमान भरत गिरिजाशंकर पालीवाल १०. श्रीमान रमेशचंद्र श्रीकिशनजी पालीवाल ११. श्रीमान मिलिन्द्कुमार देवचंद पालीवाल
२०.	संस्था का कोष	संस्था का कोष निम्म प्रकार से संचित होगा,
		१. चंदा २. शुल्क ३. अनुदान ४. सहायता १. उक्त प्रकार से संचित राशी राष्ट्रियकृत बैंक में सुरक्षित रखी जाएगी। २. अध्यक्ष/ मंत्री / कोषाध्यक्ष या अन्य कार्यकारिणी समिति पदाधिकारी में से किन्ही (३) तिन पदाधिकारियों के सयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक के लेन-देन संभव होगा।
२१.	कोष संबधी विशेषाधिकार/ व्ययधिकार	
		१. मंत्री कार्यकारिणी की अनुमति के बिना रु १०,०००/- तक का खर्च करने का आदेश दे सकता है. इससे अधिक खर्च कार्यकारिणी की अनुमति से करेगा। २. किसी समय भी मंडल की १०,०००/- रुपये से अधिक पूँजी अपने पास न रख सकेगा, तथा शेष रकम यथाशीघ्र बैंक में जमा कर देना होगा।
२२.	संस्था का अंकेषण	
		१. संस्था का समस्त लेखों-जोखों का वार्षिक अंकेषण कराया जायेगा। २. अंकेषण की नियुक्ति साधारण सभा की अनुमति से होगी। ३. वाषिक लेके धर्मादाय आयुक्त को प्रस्तुत करने होगे।
२३.	संस्था के विधान में परिवर्तन	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा में उपस्थित कुल सदस्यों के २/३ बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। (जो धर्मादाय आयुक्त के कार्यालय में जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागु होगा
२४.	संस्था का विसर्जन/ विलीनीकरण या एकीकरण	यदि संस्था का विसर्जन/ विलीनीकरण या एकीकरण आवश्यक हुआ तो साधारण सभा में उपस्थित कुल सदस्यों के २/३ बहुमत से संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति सामान उद्देश वाली संस्था को हस्तांतरित/ विलीनीकरण या एकत्रीकरन किया जायेगा।

पालीवाल सेवा मंडल घटक विधान

			(जो धर्मादाय आयुक्त के कार्यालय में जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागु होगा)

प्रमाणित किया जाता है की उक्त विधान (नियमावली) सलग्न परिशिस्ट सहित संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

(अध्यक्ष) (मंत्री) (कोषाध्यक्ष)

परिशिष्ट-१

कार्यकारिणी समिती का चुनाव नियमावली

१. कार्यकारिणी समिती अपने कार्यकाल समाप्ती वर्ष मे जो कि साधारणः प्रत्येक दुसरे वर्ष में आवेगा, होनेवाली वार्षिक सर्व साधारण सभा में नयी कार्यकारिणी के लिये १९ सदस्य (जिसमें कम से कम ३ महिलायें एवं एक छात्र सदस्य होंगे) के चुनाव की उचित व्यवस्था करेगी। आगे यह वर्ष "चुनाव वर्ष" के नाम से जाना जायेगा ।

२. चुनाव वर्ष में कार्यकारिणी समिती एक चुनाव अधिकारी को मानोनीत करेगा, परन्तु उसको चुनाव में खडे रहने का अधिकार नही होगा. वह अपना मतदान कर सकेगा. चुनाव अधिकारी को पालीवाल सेवा मंडल का सदस्य होना आवश्यक है।

३. चुनाव वर्ष में होनेवाली सर्वसाधारण सभा की सुचना के साथ ही चुनाव संबंधी सभी सूचना मंत्री के व्दारा सभी सदस्यों को विधान के नियम ११-२ के तहत भेज दी जायेगी।

४. कार्यकारिणी कम से कम ३० दिन पूर्व सर्वसाधारण सभा एवं चुनाव की तिथी, स्थान एवं समय निश्चित करेगी. इसी समय तक चुनाव अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी।

५. कार्यकारिणी समिती (अ) नामांकन पत्र भरकर देने की अंतिम तिथि एवं समय, ब) नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथी एवं समय, (स) मतदान की तिथी एवं समय, (ड) नामांकन पत्र एवं नामांकन पत्र वापस लेने का प्रारुप, (च) चुनाव का स्थान तथा अन्य आवश्यक नियम भी निश्चित करेगी।

६. नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि के पश्चात चुनाव अधिकारी नामांकन पत्रों की जाँच कर चुनाव मे खड़े रहने योग्य उम्मीदवारों के नाम चुनाव तिथी से कम से कम ५ दिन पहले नोटिस बोर्ड पर लगाकर घोषित करेगा।

७. चुनाव अधिकारी मतदान तिथि को निर्धारित समय पर अगर आवश्यक हुआ तो मत पत्रिका (गुप्त मतदान) व्दारा मतदान करवाएगा. मतदान समाप्त होने पर चुनाव अधिकारी मतों की गणना कर चुनाव के परिणाम घोषित करेगा।

८. चुनाव तिथि के दिन मतदाता को स्वतः आकर मतदान करना होगा।

९. चुनाव नतीजे (परिणाम) घोषित करने के २४ घंटे के भीतर कोई भी उम्मीदवार चुनाव परिणाम अथवा चुनाव संबंधी कोई भी शिकायत या तक्रार चुनाव अधिकारी के पास कर सकेगा. चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

१०. मतदान तिथि के १५ दिन पूर्व मंत्री मतदान सूची तैयार करके मंडल के कार्यालय में सदस्यो के निरीक्षणार्थ रखेगा।

११. मतदान सुची मे कोई आपत्ति होने पर कोई भी सदस्य मतदान तिथी के १० दिन पहले तक चुनाव अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा. आपत्ति प्राप्त होने पर चुनाव अधिकारी व्दारा जाँच करने के पश्चात जो निर्णय दिया जायेगा वह अंतिम निर्णय होगा।

१२. नामांकन पत्र मंडल के कार्यालय से कार्यालय के समय में प्राप्त किये जा सकेगे।

१३. उम्मीदवारों का नामांकन पत्र भरकर निर्धारित समय में चुनाव अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा.

१४. नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक प्रत्याशी को रुपये १०० नामांकन शुल्क देना होगा। (वापसी के अयोग्य)

१५. किसी भी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिये निर्धारित समय के भीतर चुनाव अधिकारी को लिखित सूचना देनी होगी।

१६. मतदाता सूची मंडल के पास उपलब्ध होने पर कार्यकारिणी सभा व्दारा निर्धारित मुल्य पर मंडल के सदस्यों को दी जायेगी।

१७. मतदाता व्दारा अपने पसंद के प्रत्येक प्रत्याशियो के नाम के सामने के रिक्त स्थानों पर मोहर लगाना होगा. मतदाता जितने स्थानों के चुनाव होने है अधिक से अधिक उतने ही मत दे सकेगा. उससे अधिक स्थानों पर मोहर लगाकर मतदान करने पर उसका समस्त मत रद्द हो जायेगा।

१८. किसी स्थान के लिए समान मत पडने पर चुनाव अधिकारी "टॉस" अथवा लॉटरी व्दारा चुनाव परिणाम घोषित करेगा।

१९. उपयोग में आनेवाले प्रत्येक मत पत्रिका पर चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर तथा काउन्टर मत पत्रिका क्रमांक होना आवश्यक है. अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

२०. मतदान के समय मतदान केंद्र पर उम्मीदवार अथवा प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगा चुनाव अधिकारी उम्मीदवार का प्रतिनिधि व अन्य कार्यकर्ता केवल मंडल के सहास्य ही होंगे।

२१. किसी भी पदाधिकारी को वार्षिक सभा के बहुमत से पदमुक्त किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र

नं, E ३३७ (N)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न लिखित पब्लिक ट्रस्ट का बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट १९५० (Bom. XXIX of 1950) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफीस नागपुर क्षेत्र, नागपुर में विधिवत पंजीयन हो गया है।

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :- पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर.

पब्लिक ट्रस्ट के रजिस्टर में क्रमांक नं, E ३३७ (N) यह प्रमाणपत्र श्री किशोरीलाल पालीवाल, मंत्री, नागपुर को दि. ३०-६-६५ को दिया गया।

S/d. S. M. Ismail
हस्ताक्षर
पद-असिस्टेंट चेरिटी कमिश्नर, नागपूर क्षेत्र, नागपूर.

नोट :

१. पालीवाल सेवा मंडल की १९६३ का विधान (धर्मादाय आयुक्त द्वारा सर्टिफाइड कॉपी) आप www.paliwalsewamandal.com से प्राप्त कर सकते है.

२. पालीवाल सेवा मंडल की आम सभा द्वारा पारित संशोधित विधान (सभी संशोधन १९६३ से दिनांक १५/०८/२०१३ तक) आप www.paliwalsewamandal.com से प्राप्त कर सकते है.

इस QR कोड को SCAN कर के भी संविधान की कॉपिया प्राप्त कर सकते है

१. धर्मादाय आयुक्त द्वारा सर्टिफाइड कॉपी
२. सभी संशोधन १९६३ से दिनांक १५/०८/२०१३ तक

नियम		विधान - प्रारूप	१९६३ का विधान नियम क्रमांक	विधान- आम सभा से पारित १५/०८/२०१३ तक के संशोधन के साथ	संशोधन
१	संस्था का नाम : -	इस संस्था का नाम "पालीवाल सेवा मंडल" है।	नियम क्रमांक १	इस संस्था का नाम पालीवाल सेवा मंडल रहेगा.	" रहेगा" की जगह "है "
२	पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र व कार्य वर्ष	१. इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय पालीवाल सेवा मंडल, ३८३, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, झिरो माइल के पास, सीताबर्डी, नागपूर ४४० ०१२ है।	नियम क्रमांक २	इसका कार्यालय नागपुर में होगा.	नियम क्रमांक २-१ - पंजीकृत कार्यालय का पता जोड़ा गया
		२. इसका कार्यक्षेत्र संचालन क्षेत्र संपूर्ण भारत और विदेश होगा ।			नियम २-२ जोड़ा गया , कार्यक्षेत्र जोड़ा गया
		३. संस्था का कार्यवर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा ।	पन्ना क्र ३ नियम ७	संस्था का कार्यवर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा.	नियम २-३ कोई बदलाव नहीं
३	संस्था के उद्देश	पालीवाल समाज की सर्वतोमुखी उन्नति करना है।	नियम क्रमांक ३	पालीवाल समाज की सर्वतोमुखी उन्नती करना होगा.	नियम क्रमांक ३ - कोई बदलाव नहीं
		इस उद्देश की पूर्ति के लिये संस्था निम्न लिखित कार्य करेगा।	नियम क्रमांक ४	उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंडल निम्न लिखित कार्य करेगा.	नियम क्रमांक ३ - कोई बदलाव नहीं
		१. पालीवाल धर्मशाला बनाने के लिए निधि एकत्रित करना।	नियम क्रमांक ४ -क	पालीवाल धर्मशाला बनाने के लिए निधी एकत्रित करना.	नियम क्रमांक ३-१ - कोई बदलाव नहीं है
		२. विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने के लिए निधि एकत्रित करना।	नियम क्रमांक ४ -ख	विधाथियो के लिए छात्रवास बनाने के लिए निधि एकत्रित करना.	नियम क्रमांक ३-२- कोई बदलाव नहीं है
		३. सामाजिक, राष्ट्रीय विषयों पर प्रवचन, वादविवाद, लेख प्रतियेगिता आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर समाज के बौध्दिक विकास में योग देना।	नियम क्रमांक ४ -ग	सामाजिक, राष्ट्रीय विषयापर प्रवचन, वादविवाद, लेख प्रतियागिता आदि कार्याक्रमोका आयोजन कर समाज के बौद्धिक विकास में योग देना.	नियम क्रमांक ३-३- कोई बदलाव नहीं है
		४. समाज को संगठित कर राष्ट्रोन्नति के कार्य के लिए प्रेरित करना।	नियम क्रमांक ४ -घ	समाज को संगठीत कर राष्ट्रोन्नति के कार्य के लिए प्रेरित करना.	नियम क्रमांक ३-४ - कोई बदलाव नहीं नहै
		५. जातीय उन्नति में सहायक साहित्य का निर्माण करना।	नियम क्रमांक ४ -ड	जातिय उन्नती में सहायक साहित्य का निर्माण करना.	नियम क्रमांक ३-५ - कोई बदलाव नहीं है
		६. दान,चन्दा, सदस्यता शुल्क तथा अन्यप्रकार की सहायता , कानूनी उपायोसे एकत्रित करना।	नियम क्रमांक ४ -च	धन तथा अन्य, प्रकार की सहायता दान व चन्दा, सदस्यता शुल्क क्या अन्य कानूनी उपायोसे एकत्रित करना.	नियम क्रमांक ३-६ - "धन तथा अन्य, प्रकार की सहायता" २००३ के संविधान संशोधन से हटाया गया
		७. संस्था की स्थावर व जंगम तथा अन्य सब प्रकार की सम्पति का उचित प्रबंध कर के आय का साधन बनाना अथवा संस्था के ही कार्य में उसका उपयोग करना।	नियम क्रमांक ४ -छ	मंडल की स्थावर व जंगम तथा अन्य सब प्रकार की सम्पति का उचित प्रबंध करके आय कासाधन बनाना अथवा मंडल के ही कार्य में उसका उपयोग करना.	नियम क्रमांक ३-७- कोई बदलाव नहीं है
		८. योग्य कानूनी तरीकों से कर्ज लेना, या देने का अधिकार किसी भी समय संस्था की कुल संपत्ती के मूल्य के १/४ से अधिक न होगा।	नियम क्रमांक ४ -ज	योग्य कानूनी तरीकों से कर्ज लेना, या देने का अधिकार किसी भी समय मंडल की कुल संपत्ती के मुल्यकके १/४ से अधिक न होगा.	नियम क्रमांक ३-८- कोई बदलाव नहीं है
		९. मंडल अपने उद्देशों की पूर्ती के लिये उपसमितियां संगठित करेगा।	नियम क्रमांक ४ -झ	मंडल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उप समीतिया संगठीत करेगा.	नियम क्रमांक ३-९ - कोई बदलाव नहीं है
		१०. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ती देकर योग्य सहायता देना। इन विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे समाज सेवा कार्य में सक्रिय सहयोग देते रहेंगे।	नियम क्रमांक ४ -क	असहाय विद्यार्थियों को योग्य सहायता देना. (यह सहायता उनका विद्याध्ययन पूर्ण होने पर आसान किश्तो में ५ साल में वापिस करनी होगी. इन विद्यार्थिया से यह अपेक्षा रहेगी कि वे समाज सेवा कार्य में सक्रिय सहयोग देते रहेंगे).	नियम क्रमांक ३-१० - "असहाय विद्यार्थियों को योग्य सहायता देना" की जगह "विद्यार्थियों को छात्रवृत्ती देकर योग्य सहायता देना" , "यह सहायता उनका विद्याध्ययन पूर्ण होने पर आसान किश्तो में ५ साल में वापिस करनी होगी" यह २००३ की संविधान संशोधन की तहत हटाया गया
		११. देशपर अतिवर्षा के कारण अकाल, बाढ या दुर्घटना आदि आपत्ति आ जाये तो उससे त्रस्त लोगों को संस्था की ओर से यथाशक्ति मदद करना।	अन्य नियम ३ से यहाँ उद्देश में लिया गया	देशपर किसी कारण अति वर्षाकाल या घटना आदि आपत्ती आ जाय तो उससे ग्रस्त लोगों का मंडल की आर से यथाशक्ती मदद करना.	नियम क्रमांक ३-११ - कोई बदलाव नहीं है
		उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।		उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।	नियम ३ में जोड़ा गया
		संस्था की समस्त सम्पति का उपयोग संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा कोई अन्य व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकेगा।	नियम क्र ५	संस्था की समस्त सम्पति का उपयोग संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा कोई अन्य व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकेगा।	नियम क्रमांक ३ कोई बदलाव नहीं है

४	सदस्यता		पन्ना क्रमांक २, नियम क्र १) में क्र १)		नियम क्रमांक ४ कोई बदलाव नहीं है
		1. जिन सज्जनों को इस संस्था के नियम व उपनियम मान्य होंगे एवं कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्रदान होगी वे ही सज्जन संस्था के सदस्य बन सकेंगे।	पन्ना क्रमांक २, नियम क्र १) में क्र १)	जिन सज्जनों को इस संस्था के नियम व उपनियम मान्य होंगे एवं कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्रदान होगी वे ही सज्जन संस्था के सदस्य बन सकेंगे.	नियम क्रमांक ४- १ कोई बदलाव नहीं है
		2. समाज का कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु १८ वर्ष की या उससे अधिक है वह संस्था का सदस्य बन सकता है।	नियम ५ ल	समाज का कोई भी व्यक्ती जीसकी आयु १६ वर्ष की या उससे आधिक वह मंडल का सदस्य बनता है.	नियम ४-२ मे बदलाव "आयु १६ वर्ष" कि जगह "आयु १८ वर्ष"
		3. जिन सज्जनों की सदस्यता अस्वीकृत हो जायेगी उन सज्जनों को अस्वीकृती का कारण स्पष्ट करने के लिये संस्था बाध्य नहीं रहेगी।	पन्ना क्रमांक २, नियम क्र १) में क्र १)	जिन सज्जनो की सदस्यता अस्वीकृत हो जावेगी उन सज्जनो अस्वीकृति का कारण स्पष्ट करने के लिये संस्था बाध्य न रहेगी.	नियम क्रमांक ४-३ कोई बदलाव नहीं है
५	सदस्यों का वर्गीकरण		पन्ना क्रमांक २, नियम क्र २	सदस्यता प्रकार	नियम क्र ५ "सदस्यता प्रकार" की जगह "सदस्यों का वर्गीकरण"
		१. संरक्षक सदस्य	पन्ना क्रमांक२,नियम क्र २ /१		
		जो सज्जन कम से कम एक लाख रुपये की सहयता एक मुश्त या १ वर्ष के भीतर पांच किस्तों में देंगे वे संरक्षक सदस्य माने जायेंगे। ये सदस्य अपने जीवन काल के लिये होंगे या अपने जीवन काल में भी अपना उत्तराधिकारी अथवा समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर नामजद कर सकेंगे।		जो सज्जन कम से कम एक लाख रुपये की सहयता एक मुश्त या १ वर्ष के भीतर पांच किस्तों में देंगे वे संरक्षक सदस्य माने जायेंगे। ये सदस्य अपने जीवन काल के लिये होंगे या अपने जीवन काल में भी अपना उत्तराधिकारी अथवा समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर नामजद कर सकेंगे।	नियम क्रमांक ५-१ कोई बदलाव नहीं (२००३ के आम सभा की सहमती द्वारा)
		२. आजीवन सदस्य	पन्ना क्रमांक२,नियम क्र २ /३		
		जो सज्जन संस्था को कम से कम २१००/- रुपये एक मुश्त देंगे वे आजीवन सदस्य माने जावेंगे।		जो सज्जन संस्था को कम से कम २१००/- रुपये एक मुश्त देंगे वे आजीवन सदस्य माने जावेंगे।	नियम क्रमांक ५-२ कोई बदलाव नहीं "१५-०८-२०१३ के संशोधन व्दारा आम सभा इसे पारित किया"
६	सदस्यता से निष्कासन	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्नप्रकार किया जा सकेगा :-			नियम ६ में जोड़ा गया
		1. त्यागपत्र देनेपर			नियम ६/१ में जोड़ा गया
		2. संस्था के उद्देशोके विपरीत कार्य करने पर			नियम ६/२ में जोड़ा गया
		3. कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर, अवैधानिक, अशोभनीय, अनशासनहीन व्यवहार अथवा किसी अन्य अनुचित कार्य करने पर को सदस्यता से अलग करने का अधिकार है।	पन्ना क्रमांक ३, नियम क्र ५ क	कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर, अवैधानिक, अशोभनीय, अनशासनहीन व्यवहार अथवा किसी अन्य अनुचित कार्य करने पर को सदस्यता से अलग करने का अधिकार है।	नियम क्रमांक ६-३ कोई बदलाव नहीं है
		उक्त प्रकार की निष्काशन की अपील १५ दिन के अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जाएगी तथा सर्वसाधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा ।			नियम ६ में जोड़ा गया
७	साधारण सभा	संस्था के उपनियम संख्या ५ में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।	पन्ना क्रमांक ३, नियम क्र ६ व ८	नियम ६ के तहत वार्षिक सर्वसाधारण सभा व नियम ८ के तहत साधारण सभा	नियम ७ मे बदलाव "वार्षिक सर्वसाधारण सभा" की जगह साधारण सभा और इसका निर्माण " जोड़ा गया
८	साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य	साधारण सभा के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे,			नियम ८ जोड़ा गया "साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य"
		१. कार्यकारिणी का चुनाव करना।	पन्ना क्रमांक ३, नियम ६ - २	कार्यकारणी समिती का चुनाव.	नियम ८-१कोई बदलाव नहीं
		२. वार्षिक बजट पारित करना।	पन्ना क्रमांक ३,,नियम ६ अ	वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक आयव्यय पत्रक पर विचार.	नियम ८-२ कोई बदलाव नहीं
		३. कार्यकारिणी द्वारा किये गए कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना।			नियम ८ - ३ जोड़ा गया "कार्यकारिणी द्वारा किये गए कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना"
		४. सदस्यो व्दारा एक माह पूर्व सूचित किये गये प्रस्तावों पर विचार।	पन्ना क्रमांक ३,,नियम ६ क	सदस्यो व्दारा एक माह पूर्व सूचित किये गये प्रस्तावों पर विचार.	नियम ८-५ कोई बदलाव नहीं है

		५. संस्था [illegible] या बढाने का अधिकार संस्था की साधारण सभा मे उपस्थित सदस्यों में से ७५% सदस्यों की अनुमति से होगा।	पन्ना क्रमांक ८, अन्य नियम २		८-५ में कोई बदलाव नहीं है
		६. संस्था के कुल उपस्थित सदस्यों के २/३ बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन			नियम ८-५ जोड़ा गया
		(नोट- जो धर्मादाय आयुक्त के कार्यालय में जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागु होगा)			
९	साधारण सभा की बैठके		पन्ना क्रमांक ३, नियम क्र ६ व ८	नियम ६ के तहत वार्षिक सर्वसाधारण सभा	नियम ९ में " साधारण सभा की बैठके " इस तरह किया गया
		१. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/ मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।	पन्ना क्रमांक २, नियम क्र ६ अ	वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सितंबर के पूर्व होगी उस समय निम्न लिखित कार्य होंगे	नियम ९-१ म बदलाव "वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सितबर के पूर्व होगी उस समय निम्न लिखित कार्य होंगे" की जगह "साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/ मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी"
		२. संस्था के १/३ अथवा १०० सदस्य इनमे से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/ अध्यक्ष द्वारा १ माह के अन्दर बैठक आहूत करना आवश्यक होगा. निर्धारित अवधि में मंत्री/ अध्यक्ष द्वरा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त १०० सदस्यों में से कोई भी १० सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होगे ।			नियम ९-२ जोड़ा गया
१०	साधारण सभा का कोरम		पन्ना क्रमांक ४, नियम क्र ६ व ८"कोरम"	कोरम - वार्षिक सार्वसाधारण सभा या विशेष सर्व साधारण सभा का कोरम ४५ सदस्यों का होगा. कोरम के अभाव मे आधा घन्टे के पश्चात इसी स्थान पर वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही होगी.	नियम १० में "कोरम" की जगह " साधारण सभा का कोरम " इस तरह किया गया.
		१. सार्वसाधारण सभा या विशेष सर्व साधारण सभा का कोरम १००सदस्यों का होगा।	पन्ना क्रमांक ४, नियम क्र ६ व ८"कोरम"		नियम १० -१ में "४५" की जगह "१००" किया गया.
		२. कोरम अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः आधे घन्टे के पश्चात पूर्व निर्धारित स्थान और समय पर आहूत की जा सकेगी, ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे।			नियम १० -२ में "कोरम के अभाव मे आधा घन्टे के पश्चात इसी स्थान पर वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही होगी." की जगह " कोरम अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः आधे घन्टे के पश्चात पूर्व निर्धारित स्थान और समय पर आहूत की जा सकेगी, ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे।" किया गया.
११	साधारण सभा की सुचना				नियम ११ - "वार्षिक सर्व साधारण सभा" की जगह "साधारण सभा की सुचना" किया गया
		१. साधारण सभा की सुचना १५ दिन पूर्व देनी होगी, ऐसी सभी सूचनाओं में सभा का समय, दिन, स्थान और विषय का समावेश होगा।	पन्ना क्रमांक ९, अन्य में नियम ८	वार्षिक सर्व साधारण सभा की सुचना * १५ दिन पूर्व और कार्यकारिणी की बैठक की सुचना दो दिन पूर्व देनी होगी. ऐसी सभी सूचनाओं में सभा का समय, दिन, स्थानऔर विषय का समावेश होगा.	नियम ११-१ -कोई बदलाव नहीं - ७-१२-२००३ के आम सभा की सहमती द्वारा २१ दिन से १५ दिन किया गया
		२. साधारण सभा की सूचना सदस्यों को पत्र द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (जैसे ईमेल), SMS द्वारा, और व्हाट्सएप द्वारा दी जाएगी, जिसका ब्यौरा सदस्य से प्राप्त जानकारी से संस्था के रजिस्टर में दर्ज होगा			नियम ११-२ जोड़ा गया

१२	कार्यकारिणी समिति का गठन	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलने के लिए एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी एवं सदस्य निम्म प्रकार के होंगे।	पन्ना क्रमांक ४, नियम ८	उसमें निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे	नियम १२ कोई बदलाव नहीं " निवातमान अध्यक्ष एवं मंत्री कार्यकारिणी समिती के पदेन सदस्य रहेंगे" यह प्रस्ताव आम सभा द्वारा १५-०८-२०१३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
		१) अध्यक्ष -१ २) उपाध्यक्ष २ : एक उपाध्यक्ष महीलाओं में से रहेगी. ३) मंत्री - १ ४) उपमंत्री -२ : एक उपमंत्री छात्रोंमें से रहेगा. ५) अर्थमंत्री -१ ६) उपअर्थमंत्री -१ ७) सदस्य -११ कार्यकारिणी समिति में ८ पदाधिकारी, ११ सदस्य होंगे.		अध्यक्ष - १ उपाध्यक्ष - २ एक उपाध्यक्षा महिलाओं में से ह मंत्री - १ उपमंत्री - २ एक उपमंत्री छात्रों में से होगा कोषाध्यक्ष - १ उपकोषाध्यक्ष - १ सदस्य - ११ निवातमान अध्यक्ष एवं मंत्री कार्यकारिणीसमिती के पदेन सदस्य रहेंगे	
		निवार्तमान अध्यक्ष एवं मंत्री कार्यकारिणी समिती के पदेन सदस्य रहेंगे , इस प्रकार कार्यकारिणी समिति कुल २१ सदस्य रहेंगे।			
१३	कार्यकारिणी का निर्वाचन		पन्ना क्रमांक ४, "कार्यकारिणी समिति "		
		१ संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव २ वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा, किंतु जब तक नयी कार्यकारिणी गठित नही होगी तब तक पुरानी कार्यकारिणी संस्था का कार्य संभालेंगे।		कार्यकारिणी समिति का चुनाव पालीवाल सेवा मंडल के कुल संस्थापक सदस्य मेसे होगा. कार्यकारीणीका कार्य काल २ वर्षका रहेगा किन्तु जब तक नवीन कार्यकारिणी गठीत न होगी तबतक पुरानी कार्यकारीनी काम सम्हालेंगी.	नियम १३-१ कोई बदलाव नहीं
		२ चुनाव प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा।			नियम १३-२ जोड़ा गया
		३ चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी समिति या विशेष परिस्थिति में साधारण सभा द्वारा की जाएगी ।		चुनाव वर्ष में कार्यकारिणी समिती एक चुनाव अधिकारी को मानोनीत करेगा.	नियम १३-३ " २-३-९७' आम सभा द्वारा पारित
		४ चुनाव की नियमावली इस विधान के परिशिष्ट १ में दी गयी है।		**परशिष्ट १ में सलग्न**	नियम १३-४ " २-३-९७' आम सभा द्वारा पारित
		५ संस्था का सदस्य कार्यकारिणी में पदाधिकारी के रूप में अधिकतम तीन बार ही रह सकता है, और कार्यकारिणी का सदस्य भी अधिकतम तीन बार ही रह सकता है।			नियम १३-५ जोड़ा गया
१४	कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य	संस्था के कार्यकारिणी के निम्म लिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे -	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार "		नियम १४ "कार्यकारिणी के अधिकार " की जगह "कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य"
		१. सदस्य बनाना/ निष्कासित करना।			नियम १४-१ जोड़ा गया
		२. वार्षिक बजट तैयार करना।		मंडल के उद्देश्य को सुचारु रुप से सफल करने के लिये विभिन्न उपसमितीयों का निर्माण करना, मंडल क ओर से कोई भी कार्य करना और उसके लिये उत्तरदायित्व लेना, वार्षिक पत्रक तथा आय व्यव पत्रक तैयार करना एवं व्यव के मुद्दों पर नियंत्रण करना, मंडल के कार्य को सुचारु रुप से संचालन करने के लिये उपनियम बनाना.	नियम १४-२ कोई बदलाव नहीं
		३. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।			नियम १४-३ जोड़ा गया
		४. वैतनिक कर्मचारियोंकी नियुक्ति करना उनके वेतन भत्तो का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।			नियम १४-४ कोई बदलाव नहीं
		५. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।			नियम १४-५ जोड़ा गया
		६. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितिया बनाना।			नियम १४-६ कोई बदलाव नहीं
		७. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।			नियम १४-७ जोड़ा गया
		८. कार्यकारिणी में कोई भी स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ती के लिये किसी भी व्यक्ति को कार्यकारिणी नियुक्त कर सकेगी. नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल कार्यकारणी के अनुरूप होगा।		कार्यकारिणी में कोई भी स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ती के लिये किसी भी व्यक्ति को कार्यकारिणी नियुक्त कर सकेगी.	नियम १४-८ कोई बदलाव नहीं

	९. अन्य संस्था में प्रतिनिधि नामजद करना व नामजद व्यक्ति को इस संस्था का सदस्य होना अनिवार्य है।			नियम १४-९ जोड़ा गया
	१०. संस्था की समस्त कार्यवाही का ब्यौरा एक नियत रजिस्टर में दर्ज किया रहेगा तथा उस पर अध्यक्ष और मंत्री के हस्ताक्षर रहेंगे।	अन्य नियम १० से यहाँ से लिया गया	मंडल की समस्त कार्यवाही का ब्यौरा एक नियत रजिस्टर मे दर्ज किया रहेगा. तथा उस पर अध्यक्ष और मंत्री के हस्ताक्षर रहेंगे.	नियम १४-२ कोई बदलाव नहीं
१५ कार्यकारिणी की बैठके		पन्ना क्रमांक ४, "कार्यकारिणी समिति "		नियम १५ कोई बदलाव नहीं
	१. कार्यकारिणी वर्ष में कम से कम ५ बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवशकता होने पर अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।		कार्यकारिणी की बैठक मंत्री व्दारा आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी.	नियम १५-१ में बदलाव "कार्यकारिणी की बैठक मंत्री व्दारा आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी" की जगह "कार्यकारिणी वर्ष में कम से कम ५ बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवशकता होने पर अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी"
	2 कार्यकारिणी के किन्ही ५ सदस्योंके आवेदन पर मंत्री को ७ दिन के अन्दर कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना अनिवार्य होगा		अध्यक्ष के आदेशानुसार अथवा कार्यकारिणी के किन्ही पांच सदस्यों के आवेदन पर मंत्री को एक सप्ताह के भीतर किसी विशिष्ट विषयपर विचार करने के लिये कार्यकारिणी की विशेष सभा बुलानी होगी	नियम १५-२ मे बदलाव "अध्यक्ष के आदेशानुसार अथवा कार्यकारिणी के किन्ही पांच सदस्यों के आवेदन पर मंत्री को एक सप्ताह के भीतर किसी विशिष्ट विषयपर विचार करने के लिये कार्यकारिणी की विशेष सभा बुलानी होगी" की जगह "कार्यकारिणी के किन्ही ५ सदस्योंके आवेदन पर मंत्री को ७ दिन के अन्दर कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना अनिवार्य होगा"
१६ कार्यकारिणी की बैठको का कोरम		पन्ना क्रमांक ४, "कार्यकारिणी समिति "	कार्यकारिणी की बैठक का कोरम	नियम १६ कोई बदलाव नहीं
	१. बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।		कार्यकारिणी की बैठक का कोरम * १० सदस्यों का होगा.	नियम १६-१ मे बदलाव कार्यकारिणी की बैठक का कोरम १० सदस्यों का होगा की जगह " बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा"
	२. कोरम के आभाव मे बैठक स्तगित की जा सकेगी जो पुनः दुसरे दिन निर्धारित स्थान और समय पर होगी, ऐसी स्तगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे, ऐसी स्तगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम ३ पदाधिकारियोंकी उपस्थिति अनिवार्य होगी।			नियम १६-२ जोड़ा गया
१७ कार्यकारिणी की बैठक की सुचना				नियम १७ जोड़ा गया
	१. बैठक की सूचना प्रायः ७ दिन पूर्व दी जाएगी तथा आवश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकेगी ।			नियम १७-१ जोड़ा गया
	२. कार्यकारिणी की बैठक की सूचना सदस्यों को पत्र द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (जैसे ईमेल), SMS द्वारा, और व्हाट्सएप द्वारा दी जाएगी, जिसका ब्यौरा सदस्य से प्राप्त जानकारी से संस्था के रजिस्टर में दर्ज होगा			नियम १७-२ जोड़ा गया

१८	कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य	कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार "	कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार	नियम १८ कोई बदलाव नहीं
		१. अध्यक्ष		अध्यक्ष के अधिकार	नियम १८-१ कोई बदलाव नहीं
		१. बैठकों की अध्यक्षता करना।			नियम १८-१-१ जोड़ा गया
		२. संस्था के संगठन की दृष्टि से तथा उसके दायित्व व प्रतिष्ठा के नाते किसी ऐसे प्रस्ताव को सभा में उपस्थित करने से रोकना, जिससे संस्था को हानि पहुंचने की संभावना है।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " १. अध्यक्ष के अधिकार अ	अ) संस्था के संगठन की दृष्टि से तथा उसके दायित्व व प्रतिष्ठा के नाते किसी ऐसे प्रस्ताव को सभा में उपस्थित करने से रोकना, जिससे संस्था को हानि पहुंचने की संभावना है.	नियम १८-१-२ कोई बदलाव नहीं
		३. व्यर्थ की आलोचना, व्यक्तिगत आक्षेप व अन्य बातें सभा में बोलने से रोक देने का पूर्ण अधिकार हो।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " १. अध्यक्ष के अधिकार ब	ब) व्यर्थ की आलोचना, व्यक्तिगत आक्षेप व अन्य बातें सभा में बोलने से रोक देने का पूर्ण अधिकार हो	नियम १८-१-३ कोई बदलाव नहीं
		४. असंयम दिखलाने की दशा में अध्यक्ष को अधिकार है कि किसी सदस्य को शांत रखने के प्रयत्न में असफल होने पर उसे सभा से अलग हो जाने का आदेश दें, आक्षेप पर सभा की कार्यवाही स्थगित कर देने का अधिकार होगा।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " १. अध्यक्ष के अधिकार क	क) असंयम दिखलाने की दशा में अध्यक्ष को अधिकार है कि किसी सदस्य को शांत रखने के प्रयत्न में असफल होने पर उसे सभा से अलग हो जाने का आदेश दें, आक्षेप पर सभा की कार्यवाही स्थगित कर देने का अधिकार होगा.	नियम १८-१-४ कोई बदलाव नहीं
		५. मत विभाजन के समय समान मत होने पर निर्णायक मत देना।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " १. अध्यक्ष के अधिकार ख	ख) मत विभाजन के समय समान मत होने पर निर्णायक मत देना.	नियम १८-१ -५ कोई बदलाव नहीं
		६. संस्था व्दारा स्वीकृत किये गये प्रस्तावो को कार्यान्वित करना तथा मंडल का कार्य नियमित रुप से चले ऐसा नियंत्रण रखना।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " १. अध्यक्ष के अधिकार घ	य) मंडल व्दारा स्वीकृत किये गये प्रस्तावो को कार्यान्वित करना तथा मंडल का कार्य नियमित रुप से चले ऐसा नियंत्रण रखना.	नियम १८-१- ६ कोई बदलाव नहीं
		७. संविदा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना।			नियम १८-१-७ जोड़ा गया
		८. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।			नियम १८-१-८ जोड़ा गया
		२. उपाध्यक्ष	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " उपाध्यक्ष के अधिकार	उपाध्यक्ष	नियम १८-२ कोई बदलाव नहीं
		१. संस्था की समस्त प्रवृत्तियों को सफल बनाने में अध्यक्ष को सहयोग देना।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " उपाध्यक्ष के अधिकार अ	अ) संस्था की समस्त प्रवृत्तियों को सफल बनाने में अध्यक्ष को सहयोग देना.	नियम १८-२- १ कोई बदलाव नहीं
		२. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वाह करना।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " उपाध्यक्ष के अधिकार ब	ब) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वाह करना.	नियम १८-२- २ कोई बदलाव नहीं
		३. मंत्री		मंत्री	नियम १८-३ कोई बदलाव नहीं
		१. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दायीत्व को पूर्ण करने में सहायता देना।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " मंत्री के अधिकार	अ) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दायित्व को पूर्ण करने में सहायता देना.	नियम १८-३- १ कोई बदलाव नहीं
		२. कार्यालय तथा मंडल की समस्थ गतिविधी के लिये उत्तरदायी रहकर मंडल का कार्यभार संभालना।		ब) कार्यालय तथा मंडल की समस्त गतिविधियों के लिये उत्तरदायी रह कर मंडल का कार्यभार सभालना.	नियम १८-३- २ कोई बदलाव नहीं
		३. संस्था के चंदे की रकम, जायजाद संपती का उचित रूपसे निरीक्षण करना तथा सुरक्षित हाथो मे रखना।		क) संस्था के चंदे की रकम, जायदाद संपत्ति का उचित रुप से निरिक्षण करना तथा सुरक्षित हाथों में रखना.	नियम १८-३- ३ कोई बदलाव नहीं
		४. बहुमत से निश्चित कार्यक्रम का ठीक रूपसे संचालन करना।		ख) बहुमत से निश्चित कार्यक्रम का ठीक रुप से संचालन करना.	नियम १८-३- ४ कोई बदलाव नहीं

५. समय पर आये हुये कायोलय के पत्र का ठीक से उत्तर देना तथा कार्यालय के आधीन समस्त कार्यों का निरीक्षण करना।	पन्ना क्रमाक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " मंत्री के अधिकार	भ) समय पर आये हुये कार्यालय के पत्र का उचित जवाब देना तथा कार्यालय के आधीन समस्त कार्योका निरीक्षण करना.	नियम १८-३- ५ कोई बदलाव नहीं
६. संस्था के समस्त सदस्यों की कठिनायो एवं पारेस्थितीयो की जानकारी तथा उनकी शिकायतों पर उचित ध्यान देकार उस पर योग्य सलाह व निर्णय देना।		ग) संस्था के समस्त सदस्यों की कठिनाइयों एवं परिस्थितियों की जानकारी तथा उनकी शिकायतों पर उचित ध्यान देकर उस पर योग्य सलाह व निर्णय देना.	नियम १८-३- ६ कोई बदलाव नहीं
७. कार्यकारिणी के सलाहसे मंडल के कर्मचारियो को नियुक्त करना, उनका वेतन निश्चित करना तथा उनके नोकरी से सलग्न करना,	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " मंत्री के अधिकार	च) संस्था से संबंधित प्रत्येक कानूनी कार्यवाही करना. संस्था से संबंधित प्रत्येक समिती से संबंध स्थापित कर वहां की प्रबंध समितियों पर समय समय पर निरीक्षण करना. कार्यकारिणी की सलाह से मंडल के कर्मचारियों को नियुक्त करना. उनका वेतन निश्चित करना तथा उनको नोकरी से अलग करना. मंडल से संबंधित अन्य कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये मंडल के किसी सदस्य को आदेश देना.	नियम १८-३-७ कोई बदलाव नहीं
८. संस्था के संबधित प्रत्येक से समिति सरकारी कानुनी कार्यवाही करना.			नियम १८-३- ८ कोई बदलाव नहीं
९. संस्थासे संबंदीत प्रत्येक समितीसे से संबध स्थापित कर वहाँ की प्रबंध समितीयो पर समय समय पर निरिक्षण करना,			नियम १८-३- ९ कोई बदलाव नहीं
१०. संस्था से संबंधित अन्य कार्या कोकार्यान्वित करणे के लिये मंडल के किसी सदस्य को आदेश देना।			नियम १८-३- १० कोई बदलाव नहीं
४. उपमंत्री	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " उप मंत्री	उपमंत्री	नियम १८-४ कोई बदलाव नहीं
१. मंत्री की समस्त प्रवृत्तियोको सहायक होगी तथा उनकी अनुपस्थी ती मे उसका कार्यभार संभालेगा।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " उप मंत्री	अ) मंत्री की समस्त प्रवृत्तियों का सहायक होगा तथा उनकी अनुपस्थिती में उनका कार्यभार संभालेगा	नियम १८-४- १ कोई बदलाव नहीं
२. मंडल के समस्त्त कार्योपर भी ध्यान देते राहेगे।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " उप मंत्री	ब) मंडल के समस्त कार्यों पर भी ध्यान देते रहेगा.	नियम १८-४- २ कोई बदलाव नहीं
५. कोषाध्यक्ष	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " कोषाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	नियम १८-५ कोई बदलाव नहीं
१. संस्था की संपत्ती संबंधित मामलो की जबाबदारी मंडल के कोषाध्यक्ष की होगी. मंडल के समस्त आयव्यय का हिसाब रखना कोषाध्यक्ष के आधीन रहेगा।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " कोषाध्यक्ष	अ) संस्था की संपत्ति संबंधी मामले की जबाबदारी मंडल के कोषाध्यक्ष की होगी. मंडल के समस्त आयव्यव का हिसाब रखना कोषाध्यक्ष के आधीन रहेगा.	नियम १८-५-१ कोई बदलाव नहीं
२. अध्यक्ष की अनुमती बिना किसी को रकम देना या खर्च करना मान्य नहीं होगा।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " कोषाध्यक्ष	ब) अध्यक्ष की अनुमति बिना किसी को रकम देना या खर्च करना मान्य नहीं होगा.	नियम १८-५- २ कोई बदलाव नहीं
३. खर्च या जमा की रसीदे प्राप्त करना आवश्यक होगा।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार " कोषाध्यक्ष	क) खर्च व जमा की रसीद प्राप्त करना आवश्यक होगा.	नियम १८-५- ३ कोई बदलाव नहीं

	६. अन्य सदस्य	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार अन्य सदस्य	अन्य सदस्य	नियम १८-६ कोई बदलाव नहीं
	१. कार्यकारीनी के अन्य सदस्य समय समय पर अपने सुविचार से संस्था की प्रगति पर सलाह दे सकेंगे और उन्हें संस्था के कार्यकारीनी पदाधीकारीयाके कार्यो में पूर्ण मदत पहुचाते रहगे।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार अन्य सदस्य	कार्यकारिणी के अन्य सदस्य समय समय पर अपने सुविचारों से संस्था की प्रगति पर सलाह दे सकेंगे और संस्था की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के कार्यों में पूर्ण मदद पहुँचाते रहेंगे.	नियम १८-६- १ कोई बदलाव नहीं
	२. मंडल के मंत्री द्वारा सूचित कार्योपर सुचारू रूपसे पारीत करने के लिये जिम्मेदार रहेंगे।	पन्ना क्रमांक ६, "कार्यकारिणी के अधिकार अन्य सदस्य	मंडल के मंत्री व्दारा सूचित कार्यो को सुचारु रुप से पारित करने के लिये जिम्मेदार रहेगे.	नियम १८-६- २ कोई बदलाव नहीं
19	प्रथम कार्यकारिणी समिति	पन्ना क्रमांक ६, प्रथम चुनाव		कोई बदलाव नहीं
	दिनांक २७.०४.२०२५ को कार्यकारिणी समिति का चुनाव हुआ जिसमे निम्मलिखित सदस्य कार्यकारिणी समिति में चुने गए		ता. २०-१०-६३ को कार्यकारिणी समितिका चुनाव हुआ जिसमे निम्नलिखित सज्जन कार्यकारीणी समितिमे चुने गये.	नियम १९ में "ता. २०-१०-६३ " की जगह "दिनांक २७.०४.२०२५"जोड़ा गया
	१. अध्यक्ष : श्रीमान मोतीलाल खूबचंद पालीवाल		१. अध्यक्ष : श्रीमान डॉ. ताराचंदजी पालीवाल,सीताबर्डी नागपूर	नियम १९-१ मे "श्रीमान डॉ. ताराचंदजी पालीवाल,सीताबडी नागपूर" की जगह "श्रीमान मोतीलाल खूबचंद पालीवाल"जोड़ा गया
	२. उपाध्यक्ष: श्रीमान राजेंद्र मोहनलाल ठोमा		२. उपाध्यक्ष : श्री मुंशीलालजी शर्मा	नियम १९-२ मे " श्री मुंशीलालजी शर्मा " की जगह "श्रीमान राजेंद्र मोहनलाल ठोमा"जोड़ा गया
	३. उपाध्यक्ष: श्रीमती दुर्गा भोजराज पालीवाल		३. उपाध्यक्षा : सौ. सुशीलाबाई पालीवाल	नियम १९-३ मे "सौ. सुशीलाबाई पालीवाल" की जगह "श्रीमती दुर्गा भोजराज पालीवाल "जोड़ा गया
	४. मंत्री : श्रीमान अमर नंदकिशोर पालीवाल		४. मंत्री : श्रीमान पं. किशोरीलालजी पालीवाल	नियम १९-४ मे "श्रीमान पं. किशोरीलालजी पालीवाल " की जगह "श्रीमान अमर नंदकिशोर पालीवाल"जोड़ा गया
	५. उपमंत्री : श्रीमान अमोल शिवनारायण पालीवाल		५. उपमंत्री : श्रीमान बालमुकुंदजी पालीवाल	नियम १९-५ मे "श्रीमान बालमुकुंदजी पालीवाल " की जगह "श्रीमान अमोल शिवनारायण पालीवाल "जोड़ा गया
	६. कोषाध्यक्ष:श्रीमान जनार्दन किशोरिलाल पालीवाल		६. कोषाध्यक्ष : श्री दौलतरामजी पालीवाल	नियम १९-६ मे "श्री दौलतरामजी पालीवाल " की जगह "श्रीमान जनार्दन किशोरिलाल पालीवाल "जोड़ा गया
	७. उप कोषाध्यक्ष: श्रीमान राधेश्याम पालीवाल		७. निर्देशक	नियम १९-७ मे "निदेशक" की जगह " उप कोषाध्यक्ष" व पद (रिक्त स्थान की जगह "श्रीमान राधेश्याम पालीवाल "जोड़ा गया
	८. छात्रमंत्री : श्रीमान रोहिन गोपाल पालीवाल			नियम १९ -८ में "पद " की जगह "उप छात्रमंत्री " व रिक्त स्थान की जगह "श्रीमान रोहिन गोपाल पालीवाल "जोड़ा गया
	९. सदस्य	पन्ना क्रमांक ५, ता. २०-१०-६३ को कार्यकारिणी समिति का चुनाव हुआ जिसमे निम्मलिखित सदस्य कार्यकारिणी समिति में चुने गए	८. सदस्य	नियम १९ -९ में कोई बदलाव नहीं
	१. श्रीमान राधेशाम सुन्दरलाल पालीवाल		1. श्री ताराचंदजी पालीवाल	नियम १९-९-१ मे "श्री ताराचंदजी पालीवाल" की जगह " राधेशाम सुन्दरलाल पालीवाल"जोड़ा गया
	२. श्रीमान बालकिसन सोमराज पालीवाल		2. श्री हरजीमलजी पालीवाल	नियम १९-९-२ मे "श्री हरजीमलजी पालीवाल" की जगह "श्रीमान बालकिसन सोमराज पालीवाल" जोड़ा गया
	३. श्रीमान रमेश अमृतलाल पालीवाल		3. श्री चुन्नीलालजी पालीवाल	नियम १९-९-३ मे "श्री चुन्नीलालजी पालीवाल" की जगह "श्रीमान रमेश अमृतलाल पालीवाल"जोड़ा गया
	४. श्रीमान भगवतीप्रसाद सतीदान पालीवाल		4. श्री अमरचंदजी पालीवाल	नियम १९९-४ मे "श्री अमरचंदजी पालीवाल " की जगह "श्रीमान भगवतीप्रसाद सतीदान पालीवाल"जोड़ा गया
	५. श्रीमती सुनीता गोपाल पालीवाल		5. श्री डॉ. पृथ्वीराजजी पालीवाल	नियम १९ -९-५ मे "श्री डॉ. पृथ्वीराजजी पालीवाल" की जगह " श्रीमती सुनीता गोपाल पालीवाल" जोड़ा गया
	६. श्रीमती प्रियंका प्रशांत पालीवाल		6. श्री राधाकृष्णजी पालीवाल	नियम १९-९-६ मे "श्री राधाकृष्णजी पालीवाल" की जगह "श्रीमती प्रियंका प्रशांत पालीवाल "जोड़ा गया

		७. श्रीमान नितिन बदरीप्रसाद पालीवाल		7. श्री दौलतरामजी पालीवाल (तुमसर)	नियम १९-९-७ में "श्री दौलतरामजी पालीवाल (तुमसर)" की जगह " श्रीमान नितिन बदरीप्रसाद पालीवाल" जोड़ा गया
		८. श्रीमान सचिन घनशाम शर्मा		8. श्री किशनलालजी पालीवाल (पारशिवनी)	नियम १९-९-८ मे "श्री किशनलालजी पालीवाल (पारशिवनी)" की जगह " श्रीमान सचिन घनशाम शर्मा"जोड़ा गया
		९. श्रीमान भरत गिरिजाशंकर पालीवाल		9. श्री गोपालजी पालीवाल (लालबर्रा)	नियम १९-९-९ में "श्री गोपालजी पालीवाल (लालबर्रा)" की जगह " श्रीमान भरत गिरिजाशंकर पालीवाल "जोड़ा गया
		१०. श्रीमान रमेशचंद्र श्रीकिशनजी पालीवाल		10. श्री कन्हैयालालजी पालीवाल (काटोल)	नियम १९-९-१० मे " श्री कन्हैयालालजी पालीवाल (काटोल)" की जगह " श्रीमान रमेशचंद्र श्रीकिशनजी पालीवाल"जोड़ा गया
		११. श्रीमान मिलिन्द्कुमार देवचंद पालीवाल		11. सौ. इंदिराबाई पालीवाल	नियम १९-९-११ में "सौ. इंदिराबाई पालीवाल" की जगह "श्रीमान मिलिन्द्कुमार देवचंद पालीवाल "जोड़ा गया
२०	संस्था का कोष				नियम २०जोड़ा गया
		१. संस्था का कोष निम्म प्रकार से संचित होगा,			नियम २०-१ जोड़ा गया
		१. चंदा			नियम २०-१-१जोड़ा गया
		२. शुल्क			नियम २०-१-२ जोड़ा गया
		३. अनुदान			नियम २०-१-३ जोड़ा गया
		४. सहायता			नियम २०-१-४ जोड़ा गया
		२. उक्त प्रकार से संचित राशी राष्ट्रियकृत बैंक मे सुरक्षित रखी जाएगी।			नियम२०-२ जोड़ा गया
		३. अध्यक्ष/ मंत्री / कोषाध्यक्ष या अन्य कायेकारिणी समिति पदाधिकारी में से किन्ही (३) तिन पदाधिकारियों के सयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक के लेन-देन संभव होगा।			नियम २० -३ जोड़ा गया
२१	कोष संबधी विशेषाधिकार/ व्ययधिकार		पन्ना क्रमांक ८, "वव्ययाधिकार"	मंत्री कार्यकारिणी की अनुमती के बिना रुपये २५ तक का खर्च करने का आदेश दे सकता है. इससे अधिक खर्च कार्यकारिणी के अनुमती से करेगा. किसी समय भी मंडल की १०० रूपये से अधिक पुंजी अपने पास नही राख सकेगा, तथा शेष रक्कम यथाशिघ्र बँक में जमा कर देना होगी.	नियम २१ "वव्ययाधिकार" की जगह "कोष संबधी विशेषाधिकार/ व्ययधिकार" किया गया
		१. मंत्री कायेकारिणी की अनुमति के बिना रु १०,०००/- तक का खर्च करने का आदेश दे सकता है. इससे अधिक खर्च कार्यकारिणी की अनुमति से करेगा।			नियम २१-१ " रुपये २५०० की" जगह " रु १०,०००/-" किया गया ७.१२.२००३ की आम सभा द्वारा पारित
		२. किसी समय भी मंडल की १०,०००/- रुपये से अधिक पूँजी अपने पास न रख सकेगा, तथा शेष रकम यथाशीघ्र बैंक में जमा कर देना होगा।			नियम २१-२"५०००" की जगह " १००००/-"किया गया ७.१२.२००३ की आम सभा द्वारा पारित
२२	संस्था का अंकेषण				नियम २२ जोड़ा गया
		१. संस्था का समस्त लेखों-जोखों का वार्षिक अंकेषण कराया जायेगा।			नियम २२-१ जोड़ा गया
		२. अंकेषण की नियुक्ति साधारण सभा की अनुमति से होगी।			नियम २२-२ जोड़ा गया
		३. वार्षिक लेखे धर्मादाय आयुक्त को प्रस्तुत करने होंगे।			नियम २२-३ जोड़ा गया
२३	संस्था के विधान में परिवर्तन	संस्था के विधान मे आवश्यकतानुसार साधारण सभा मे उपस्थित कुल सदस्यों के २/३ बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। (जो धर्मादाय आयुक्त के कार्यालय में जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागु होगा)			नियम २२-३ जोड़ा गया नियम २२-३ जोड़ा गया

२४	संस्था का विसर्जन/ विलीनीकरण या एकीकरण	यदि संस्था का विसर्जन/ विलीनीकरण या एकीकरण आवश्यक हुआ तो साधारण सभा में उपस्थित कुल सदस्यों के २/३बहुमत से संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति सामान उद्देश वाली संस्था को हस्तांतरित/ विलीनीकरण या एकत्रीकरन किया जायेगा। (जो धर्मादाय आयुक्त के कार्यालय में जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागु होगा)	पन्ना क्र ८अन्य नियम ५ से यहाँ से लिया गया	५) सभा का कोई भी प्रस्ताव व निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत व्दारा स्वीकृत होगा. यदि कोई प्रस्ताव विधान के नियमों में संशोधन अथवा समावेश या मंडल के विसर्जन, विलीनीकरण या एकीकरण के संबंधके हो तो सर्व साधारण सभा मे उपस्थित सदस्यों के २/३ प्रतिशत से ही पास किया जा सकेगा.	नियम २४ कोई बदलाव नहीं
		प्रमाणित किया जाता है की उक्त विधान (नियमावली) सलग्न परिशिष्ट सहित संस्था की (अध्यक्ष) (मंत्री) (कोषाध्यक्ष)			सत्यापन जोड़ा गया
		परिशिष्ट-१			**परिशिष्ट-१ विधान के साथ जोड़ा गया**
		<u>**कार्यकारिणी समिती का चुनाव नियमावली**</u>			२-३-१९९७ को सव साधारण सभा द्वारा पारित और १८/११/२००७ व ७/१२/२००३के सभा में संशोधित
१		कार्यकारिणी समिती अपने कार्यकाल समाप्ती वर्ष मे जो कि साधारणः प्रत्येक दुसरे वर्ष में आवेगा, होनेवाली वार्षिक सर्व साधारण सभा में नयी कार्यकारिणी के लिये १९ सदस्य (जिसमें कम से कम ३ महिलायें एवं एक छात्र सदस्य होंगे) के चुनाव की उचित व्यवस्था करेगी। आगे यह वर्ष "चुनाव वर्ष" के नाम से जाना जायेगा ।			
२		चुनाव वर्ष में कार्यकारिणी समिती एक चुनाव अधिकारी को मानोनीत करेगा, परन्तु उसको चुनाव में खडे रहने का अधिकार नही होगा. वह अपना मतदान कर सकेगा. चुनाव अधिकारी को पालीवाल सेवा मंडल का सदस्य होना आवश्यक है।			
३		चुनाव वर्ष में होनेवाली सर्वसाधारण सभा की सुचना के साथ ही चुनाव संबंधी सभी सूचना मंत्री के व्दारा सभी सदस्यों को विधान के नियम ११-२ के तहत भेज दी जायेगी।			"१५ दिन पुर्व यु.पी.सी." की जगह "विधान के नियम ११-२ " किया गया
४		कार्यकारिणी कम से कम ३० दिन पूर्व सर्वसाधारण सभा एवं चुनाव की तिथी, स्थान एवं समय निश्चित करेगी. इसी समय तक चुनाव अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी।			
५		कार्यकारिणी समिती (अ) नामाकन पत्र भरकर देने की अंतिम तिथि एवं समय, ब) नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथी एवं समय, (स) मतदान की तिथी एवं समय, (ड) नामांकन पत्र एवं नामांकन पत्र वापस लेने का प्रारुप, (च) चुनाव का स्थान तथा अन्य आवश्यक नियम भी निश्चित करेगी।			
६		नामाकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि के पश्चात चुनाव अधिकारी नामाकन पत्रों की जाँच कर चुनाव मे खड़े रहने योग्य उम्मीदवारों के नाम चुनाव तिथी से कम से कम ५ दिन पहले नोटिस बोर्ड पर लगाकर घोषित करेगा।			
७		चुनाव अधिकारी मतदान तिथि को निर्धारित समय पर अगर आवश्यक हुआ तो मत पत्रिका (गुप्त मतदान) व्दारा मतदान करवाएगा. मतदान समाप्त होने पर चुनाव अधिकारी मतों की गणना कर चुनाव के परिणाम घोषित करेगा।			
८		चुनाव तिथि के दिन मतदाता को स्वतः आकर मतदान करना होगा।			
९		चुनाव नतीजे (परिणाम) घोषित करने के २४ घंटे के भीतर कोई भी उम्मीदवार चुनाव परिणाम अथवा चुनाव संबंधी कोई भी शिकायत या तक्रार चुनाव अधिकारी के पास कर सकेगा. चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।			

१० मतदान तिथि के १५ दिन पूर्व मंत्री मतदान सूची तैयार करके मंडल के कार्यालय में सदस्यो के निरीक्षणार्थ रखेगा।			
११ मतदान सुची में कोई आपत्ति होने पर कोई भी सदस्य मतदान तिथी के १० दिन पहले तक चुनाव अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा. आपत्ति प्राप्त होने पर चुनाव अधिकारी व्दारा जाँच करने के पश्चात जो निर्णय दिया जायेगा वह अंतिम निर्णय होगा।			
१२ नामांकन पत्र मंडल के कार्यालय से कार्यालय के समय मे प्राप्त किये जा सकेंगे।			
१३ उम्मीदवारों का नामांकन पत्र भरकर निर्धारित समय में चुनाव अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा.			
१४ नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक प्रत्याशी को रुपये १०० नामांकन शुल्क देना होगा। (वापसी के अयोग्य)			
१५ किसी भी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिये निर्धारित समय के भीतर चुनाव अधिकारी को लिखित सूचना देनी होगी।			
१६ मतदाता सूची मंडल के पास उपलब्ध होने पर कार्यकारिणी सभा व्दारा निर्धारित मुल्य पर मंडल के सदस्यों को दी जायेगी।			
१७ मतदाता व्दारा अपने पसंद के प्रत्येक प्रत्याशियों के नाम के सामने के रिक्त स्थानों पर मोहर लगाना होगा. मतदाता जितने स्थानों के चुनाव होने है अधिक से अधिक उतने ही मत दे सकेगा. उससे अधिक स्थानों पर मोहर लगाकर मतदान करने पर उसका समस्त मत रद्द हो जायेगा।			
१८ किसी स्थान के लिए समान मत पडने पर चुनाव अधिकारी "टॉस" अथवा लॉटरी व्दारा चुनाव परिणाम घोषित करेगा।			
१९ उपयोग में आनेवाले प्रत्येक मत पत्रिका पर चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर तथा काउन्टर मत पत्रिका क्रमांक होना आवश्यक है. अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जायेगा।			
२० मतदान के समय मतदान केंद्र पर उम्मीदवार अथवा प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगा चुनाव अधिकारी उम्मीदवार का प्रतिनिधि व अन्य कार्यकर्ता केवल मंडल के सहास्य ही होंगे।			
२१ किसी भी पदाधिकारी को वार्षिक सभा के बहुमत से पदमुक्त किया जा सकेगा।			
		सभी जगह "मंडल" की जगह "संस्था" किया गया	

नोट : १. पालीवाल सेवा मंडल की १९६३ का विधान (धर्मादाय आयुक्त द्वारा सर्टिफाइड कॉपी) आप www.paliwalsewamandal.com से प्राप्त कर सकते है.

२. पालीवाल सेवा मंडल की आम सभा द्वारा पारित संशोधित विधान (१९६३ से दिनांक १५/०८/२०१३ तक) आप www.paliwalsewamandal.com से प्राप्त कर सकते है.

इस QR कोड को SCAN कर के भी संविधान की कॉपिया प्राप्त कर सकते है

संविधान समिति

- अध्यक्ष - श्री राधेश्याम राजारामजी सारण
- संयोजक - श्रीमान दीपक केशरीमलजी कुलधर
- सदस्य - श्रीमान अभिनकुमार दुर्गाप्रसादजी सुहाम
- श्रीमान अशोक प्रेमशंकरजी हरजाल
- श्रीमान योगेश देवचंदजी बुनिया
- श्रीमती शिला मनोहरलालजी सारण
- श्रीमती कृष्णा बालमुकुन्दजी धामट

धर्मादाय आयुक्त विषय व सदस्य सूची संशोधन समिति

- अध्यक्ष - श्री संजय बन्सीलालजी कुलधर
- संयोजक - श्री विजयकुमार चुन्नीलालजी हरजाल
- सदस्य - श्री शरद बिहारीलालजी छिरक
- श्री रमाकांत ताराचंदजी कुलधर
- श्री हीरालाल ताराचंदजी सोमेरी
- श्री रविन्द्र राधेश्यामजी धामट
- श्री वैभव दिनेशजी कुलधर

छात्रवृति वितरण समिति

- अध्यक्ष - श्री ललितमोहन जयनारायणजी धामट
- संयोजक - श्री डॉ. राजेश राधेश्यामजी जाजिया
- सदस्य - श्री प्रमोद देवकीनंदनजी ढोमा
- श्री राजेश भूरेलालजी भायल
- श्री आशीष सुभाषजी हरजाल
- श्री जीतेन्द्र रामिदानजी सुहाम
- श्री जयप्रकाश मधुसुधनजी आदिया

छात्रवृत्ती कोष समिति

- अध्यक्ष - योगेश देवचंदजी बुनिया
- संयोजक - प्रवीण दुर्गाप्रसादजी सुहाम
- सदस्य -
- श्री योगेश मन्नालालजी धामट, वरुड
- श्री सुधीर टीकारामजी छिरक, नागपुर
- श्री सुरेश पिकूलालजी सुहाम, नागपुर
- श्री मदनलाल किशनलालजी सुहाम, पाटणसावंगी
- श्री प्रेमराज कमलजी धामट, आर्वी
- श्री संजय हुलासीचंदजी धामट, वर्धा
- श्री भोजराज रामलालजी हरजाल, रामपुर
- श्री सुरेन्द्रजी देवीलालजी सुहाम, छिंदवाडा
- श्री अजय दशरथलालजी हरजाल, गोंदिया
- श्री कैलाश धर्मदासजी पाराशर, कटंगी
- श्री प्रभुदयाल मोहनलालजी धामट, आर्वी
- श्री डॉ. हेमंत राधाकिसनजी धामट, वर्धा
- श्री आनंद बाबुरामजी कुलधर, नागपुर
- श्री जगदीश गौरीशंकरजी सोमेरी, नागपुर
- श्री विनोद श्रीवल्लभजी सुहाम, काटोल
- श्री अमित नरेन्द्रकुमारजी हरजाल, पांढुर्णा
- श्री नरेन्द्र पिकूलालजी हरजाल, ना. पीपला
- श्री डॉ. योगेश देवीदानजी मुंधा, अकोला
- श्री शैलेन्द्र खेतूलालजी धामट, नागपुर
- श्री गिरीश देवीदानजी धामट, अर्जुनी मोर.
- श्री सत्येंद्र सुंदरलालजी मुडगल, नागपुर
- श्री कन्हैयालाल शिवलालजी सोमेरी, नागपुर
- श्री राजेंद्र ताराचंदजी धामट, नागपुर

महिला समिति

- अध्यक्षा - श्रीमती चुनी गिरीशजी धामट
- उपाध्यक्षा - श्रीमती स्वाती गोपालजी सुहाम
- संयोजिका - श्रीमती ममता हनुजी धामट
- सचिव - श्रीमती अरुणा गिरीशजी मुंधा

सदस्या -

- श्रीमती करिश्मा योगेशजी बुनिया
- श्रीमती कांचन पुरुषोत्तमजी हरजाल
- श्रीमती सरस्वती जुगलकिशोरजी सोमेरी
- श्रीमती शोभा जगदीशजी सुहाम
- श्रीमती संगीता मनीषजी हरजाल, काटोल
- श्रीमती उज्वला नंदकिशोरजी धामट
- श्रीमती माधवी किशोरजी धामट
- श्रीमती शालिनी देवेन्द्रजी बुनिया
- श्रीमती कीमन राधेश्यामजी आदिया
- श्रीमती सुरेखा कमलकिशोरजी पालीवाल
- श्रीमती निर्मला रूपचंदजी धामट
- श्रीमती पुष्पा रमेशजी कुलधर, पाटणसावंगी
- श्रीमती रीतू मनीषजी पुनेद
- श्रीमती लेखा निखिलजी धामट
- श्रीमती जानकी खुशालीरामजी जाजिया
- श्रीमती संगीता हालचंदजी मुंधा
- श्रीमती अंजलि गोपालजी जाजिया, पाटणसावंगी
- श्रीमती दीपा रमेशजी हरजाल, वा. रेल्वे
- श्रीमती इंदु किशनजी सारण
- श्रीमती हेमलता राजकुमारजी बुनिया

सदस्या -

- श्रीमती भावना विपिन मुंधा
- श्रीमती स्नेहा जयप्रकाशजी आदिया
- श्रीमती सुरेखा आनंदजी सोमेरी
- श्रीमती संतु गोपीजी धामट
- श्रीमती सीमा संजयजी शर्मा, आर्वी
- श्रीमती रेशमा दिनेशजी पालीवाल
- श्रीमती किरण लक्ष्मीकांतजी हरजाल
- श्रीमती गौरी सचिनजी सुहाम, पंढुर्णा
- श्रीमती गायत्री प्रेमप्रकाशजी हरजाल
- श्रीमती दुर्गा गौरीशंकरजी कुलधर, सिंदी रे
- श्रीमती प्रीति संजयजी हरजाल, जबलपुर
- श्रीमती किरण आशिषजी पालीवाल
- श्रीमती हर्षा शैलेन्द्रजी पालीवाल
- श्रीमती संध्या हरीशजी पालीवाल
- श्रीमती ममता प्रेमकुमारजी पालीवाल, हिं.घाट
- श्रीमती माया दिलीपजी हरजाल, कारंजा
- श्रीमती प्रतिभा विनोदजी पालीवाल, आर्वी
- श्रीमती टीना दिलीपजी बुनिया
- श्रीमती चंदा मनोजजी पाराशर
- श्रीमती नेहा उमाशंकरजी धामट
- श्रीमती रानी हरीशजी पालीवाल

उत्सव समिति

- मार्गदर्शक - श्रीमती शिला मनोहरलालजी सारण
- अध्यक्षा - श्रीमती मीनाक्षी योगेशजी जस्सू
- सदस्या -
- श्रीमती लता अमितजी सुहाम
- श्रीमती हेमा मनोजजी हरजाल
- श्रीमती मीना हरीशजी हरजाल
- श्रीमती सीमा जगदीशजी हरजाल
- श्रीमती भैया राजेशजी जाजिया
- श्रीमती लीला शिवजी पालीवाल
- श्रीमती तुलसी टिंकुजी जाजीया
- श्रीमती अर्चना मनीषजी धामट
- श्रीमती माधुरी वैभवजी कुलधर
- श्रीमती प्रिया अमितजी मुंधा, बुटीबोरी
- श्रीमती प्रमिला ओमप्रकाशजी आदिया
- श्रीमती दुर्गा गिरधारीलालजी हरजाल
- श्रीमती नितु सुरेन्द्रजी पालीवाल
- श्रीमती हंसा [illegible] पालीवाल
- श्रीमती भारती राजेंद्रजी पालीवाल
- श्रीमती मनीषा राजीवजी कुलधर, लालबर्रा
- श्रीमती अपर्णा संतोषजी चंदन
- श्रीमती सोनल कौशलजी धामट
- श्रीमती लालिमा मयूरजी कुलधर
- श्रीमती हर्षदा अभिषेकजी हरजाल
- श्रीमती साधना श्रीकृष्णजी हरजाल

भवन समिति

- अध्यक्ष - श्री सुनीत मथुराप्रसादजी हरजाल, नागपूर
- संयोजक - श्री रितेश गोविंदजी मुडगल, सिन्दी रेल्वे
- सदस्य -
- श्री श्यामलाल दुलीचंद बुनिया, नागपुर
- श्री दिलीप गंगाबिसनजी सोमेरी, नागपुर
- श्री उमेन्द्र मनोहरलालजी शर्मा, नागपुर
- श्री ज्ञानचंद चतुर्भुजजी मुन्धा, नागपुर
- श्री गोकुल अमृतलालजी जाजिया, नागपुर
- श्री नवीनकुमार हरेन्द्रकुमारजी सोमेरी, नागपुर
- श्री महेंद्र कन्हैयालालजी धामट, नागपुर
- श्री महेश किशनलालजी आदिया, खुबगाव, आर्वी
- श्री राजकुमार मोहनलालजी बुनिया, नागपुर

स्वास्थ्य समिति

- श्री किशोर टिकारामजी धामट, नागपुर
- श्री डॉ प्रशांत मदनलालजी धामट, नागपुर
- श्री डॉ आनंद मदनलालजी सुहाम, नागपुर
- श्री डॉ सचिन सुरेशजी हरजाल, नागपुर
- श्री डॉ. तरुण लीलाधरजी धामट, नागपुर
- श्री डॉ यश कमलेशजी हरजाल, नागपुर
- श्री डॉ रोशन कमलेशजी हरजाल, नागपुर
- श्री डॉ. पियूष प्रकाशजी सोमेरी, वर्धा
- श्रीमती डॉ. पल्लवी आनंदजी सुहाम, नागपुर
- श्रीमती डॉ. दीपाली आशुतोषजी सुहाम, नागपुर
- श्रीमती डॉ. आरती यशजी हरजाल, नागपुर
- श्रीमती डॉ. पूजा तरुणजी धामट, नागपुर

विनीत

श्री मोतीलाल हरजाल अध्यक्ष मो. 9325730938	श्री राजेंद्र ठोमा उपाध्यक्ष मो. 9370324253	श्रीमती दुर्गा हरजाल महिला उपाध्यक्षा मो. 9226119151	श्रीमती श्रुती धामट महिला समिति अध्यक्षा मो. 9825143963

श्री पं. जनार्दन हरजाल कोषाध्यक्ष मो. 9822725507	श्री अमर सुहाम सचिव / मंत्री मो. 9766312484	श्री अमोल पुनंद सहसचिव मो. 8999381944	श्री राधेश्याम धामट सहकोषाध्यक्ष मो. 9321312917	श्री रोहिन सुहाम छात्रमंत्री मो. 7656969698

कार्यकारिणी सदस्य

श्री. राधेश्याम पुनंद
कारंजा, मो. 9923250549

श्री बालकिसन पुनंद
कोंढाली, मो. 9420248373

श्री. रमेश हरजाल
काटोल, मो. 9822238551

श्री. भगवतीप्रसाद धामट
अर्जुनी मोर. मो. 8329576754

श्रीमती डॉ. सुनिता भायल
वर्धा, मो. 7058703547

श्रीमती डॉ. प्रियंका धामट
नागपुर, मो. 9423620366

श्री नितीन हरजाल
सिंदी रेल्वे, मो. 9975189249

श्री. सचिन धामट
आर्वी, मो. 7757940582

श्री. डॉ. भरत धामट
धामणगांव रेल्वे, मो. 9423425414

श्री. पं. रमेश धामट
नागपुर, मो. 9822948614

श्री. ॲड. मिलिंदकुमार सुहाम
पारसिवनी, मो. 9404950810

प्रेषक :
पालीवाल सेवा मंडल
३८३, पं. जवाहरलाल नेहरु मार्ग,
पटवर्धन हायस्कूल के सामने, सिताबर्डी,
नागपुर - ४४० ०१२.
फोन : ०७१२-२५२२४९४, २५२१९४३
मोबा. : ८२६५०६४१३६

बुक पोस्ट

प्रति,